IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1262 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhade & Ors. … Applicants

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors. … Respondents

Index

S. No.	Particular	Page No.
1.	Reply on Behalf of Respondent No. 10	1-5
2.	**ANNEXURE R-10/1** A copy of NIT dated 07.01.2025	6-73
3.	**ANNEXURE R-10/2** A copy of agreement dated 30.04.2025 entered by Respondent No. 10 and Respondent No. 4	74-99
4.	**ANNEXURE R-10/3** A copy of EC dated 04.10.2023	100-111
5.	Proof of payment of cost to NGT Bar Association	112
6.	Proof of Service	113

NEW DELHI
DATED: 23.12.2025

Megha

Megha Karnwal
Advocate(D/1594/2009)
Counsel for Respondent
Email: advmeghakarnwal@gmail.com
Mob.: +91 9910465222

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1262 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhade & Ors. … Applicants

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors. … Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 10/ M/s WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

Most Respectfully Showeth:

1. The present Original Application ("OA") has been registered upon the letter dated 15.06.2024 filed by the applicant raising grievances regarding illegal mining in river bed mining and mid-stream of river Bawanthadi in Khasra No. 463, Village Chicholi, Tehsil Kharlanji, District Balaghat, Madhya Pradesh since last five years by the then mining lease holders namely M/s Rajesh Pathak and M/s R G Associates Consortium, respectively in their lease period.

GOVT. OF INDIA NOTARY MUBASHSHIR ALI REG. NO. 37998 DISTT. BHOPAL (M.P.)

2. On 15.06.2024, a letter petition was sent by the villagers of Chicholi, alleging illegal sand mining activity been carried out during the period 2019 to 2024 by the then mining lease holders in the village Chicholi, District Balaghat. The said letter petition was registered as the present OA.

3. By order dated 20.11.2024, this Hon'ble Tribunal in the present OA directed to constitute a committee comprising District Magistrate,

Balaghat, Madhya Pradesh State Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and Integrated Regional Office, Ministry of Environment Forest and Climate Change, Bhopal, making CPCB a nodal Authority for coordination and compliance of this order and further directed that committee to visit the site, collect relevant information and submit a factual report within a month.

4. In compliance of the said direction, a committee was constituted; they visited the site, did the inspection and accordingly filed a report before this Hon'ble Tribunal in December, 2024 for the illegal mining committed till that time by the then mining lease holders viz. Mr. Rajesh Pathak and M/s R. G. Associates Consortium and gave their recommendations.

5. It is apposite to mention here that subsequent to the filing of the present OA, State Mining Corporation/R-3 issued a fresh/ 3rd NIT dated 7.01.2025 w.r.t. to the same mining lease area. The answering respondent/R-10 participated in the auction and was declared the highest bidder/ the present Mine Developer cum Operator ("MDO") who have subsequently entered into mining contract with the MP State Mining Corporation /R-3 on 30.04.2025 for the period of three years. A copy of 3rd NIT dated 07.01.2025 issued by R-3 and the agreement dated 30.04.2025 executed between the Answering Respondent No. 10 and R-3 are annexed hereto and marked as **ANNEXURE R-10/1 & R-10/2 respectively.**

NOTARY REG. NO. 37998 MUBASHSHIR ALAM Valid till 06/2/2030 DISTT. BHOPAL (M.P.) GOVT. OF INDIA

6. Further it is submitted that Environmental Clearance ("EC") was granted in favour of MP State Mining Corporation on 04.10.2023 for a quantity of 59.880 cum/year which was valid for a period of 5 years i.e. till

03.10.2028. A copy of EC dated 04.10.2023 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE R-10/3.**

7. However due to the ongoing dispute w.r.t this mining area, the Answering Respondent has not yet commenced any mining in the said area and got themselves impleaded in the present OA as any order passed by this Tribunal w.r.t the future mining in the area will have a bearing on the lease granted to the Answering Respondent.

8. Accordingly, this Hon'ble Tribunal, finding the Answering Respondent No. 10 necessary and proper party, impleaded them as Respondent No. 10 and were given opportunity to file their response with reference to the averments made in the original application and observations made in the report of the Joint Committee.

9. It is submitted that the answering respondent has no nexus with the illegal sand mining, alleged by the applicants. The answering respondent has entered into the contract on 30.04.2025 i.e. subsequent to the events of illegal sand mining alleged in the present OA. Moreover, the answering respondent has not yet commenced its mining activity after entering into agreement with the MP State Mining Corporation/R-3.

10. The answering respondent also has no grievance with respect to the recommendations made by the Joint Committee. Further, the answering respondent is committed to follow the due procedure of law and all environmental safeguards for carrying out mining activities.

NOTARY
REG. NO. 37998
MUBASHSHIR ALAM
Valid till 06/2/2025 to 06/2/2030
DISTT. BHOPAL (M.P.)
GOVT. OF INDIA

11. The answering respondent is unaware of any illegal activity carried out in the present mining lease for want of knowledge. Further, the answering respondent is not liable to any consequences, in case it is found that illegal sand mining was carried in the mining lease before they entered into the agreement with the MP State Mining Corporation.

12. In light of the above-mentioned facts and circumstances the answering respondent humbly prays that this Hon'ble Tribunal may pass any directions for safe-guarding environment protection without jeopardising the interests of the answering respondent who is subsequent and Bonafide MDO of the mining lease is Village Chicholi, Dist. Balaghat.

1104

NEW DELHI
DATED: 23 .12.2025

Megha

Megha Karnwal
Advocate(D/1594/2009)
Counsel for Respondent
Email: advmeghakarnwal@gmail.com
Mob.: +91 9910465222

NOTARY
REG. NO. 37998
MUBASHSHIR ALAM
Valid till 06/2/2025 to 06/2/2030
DISTT. BHOPAL (M.P.)
GOVT. OF INDIA

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1262 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhade & Ors. … Applicants

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors. … Respondents

AFFIDAVIT

I, Rukesh Bankhede s/o Shri Sumran Bankhede, aged 39 years, r/o Multai Road, Parmandal Tehsil Multai, District Betul do solemnly affirm and state as under:

1. That I am the authorised representative of the Respondent No. 10 company and as such, I am fully competent and authorised to swear and depose this affidavit and fully aware of the facts and circumstances of the above petition.

2. That I have perused the present Reply/ Counter Affidavit which is being filed in this Hon'ble Tribunal on my behalf.

3. I say that the documents/ annexures annexed in the present application are true and correct to my knowledge and belief.

Solemnly affirmed at
This 22nd day of Dec, 2025

Deponent

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify that the statement of facts contained in the affidavit are true and correct to my knowledge and the legal submissions are believed by me to be true and correct.

Verified at this 22nd day of Dec, 2025

Deponent

IDENTIFIED BY Mr
Sign
Name
Add

SWORN BEFORE ME BY THE WITHEN NAMED
MUBASHSHIR ALAM
NOTARY & ADVOCATE
DISTT. BHOPAL (M.P.) INDIA
22 DEC 2025

NOTARY
MUBASHSHIR ALAM
REG. NO. 37998
Valid till 06/2/2025 to 06/2/2030
DISTT. BHOPAL (M.P.)
GOVT. OF INDIA

पुस्तक क्रमांक 44
रसीद क्रमांक 444
दिनांक 22/12/25

निविदा प्रपत्र का मूल्य - रूपये 5,000/-

रेत खनिज की ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र

1. सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि **परिशिष्ट-1**, के विनिर्दिष्ट रेत खदानों के समूह, माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0)द्वारा रेत के खनन एवं विक्रय हेतु, म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार)नियम, 2019 के नियम 9 में उल्लेखित अवधि के लिये ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जावेगा।

निगम द्वारा रेत खदानों के समूह एवं उनमें सम्मिलित रेत खदानों एवं उनका विस्तृत विवरण यथा जिला, तहसील ग्राम, खसरा क्रमांक, रकबा एवं अनुमानित मात्रा, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 के पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के बेवसाइट https://www.mpsmcl.mp.gov.in पर दिनांक 24-06-2023 से प्रदर्शित किया गया था।

2. (क) ई-निविदा सह नीलामी की विस्तृत प्रक्रिया, समूह का विवरण, अनुबंध का प्रारूप, विस्तृत शर्ते तथा प्रक्रिया का विवरण https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp के अतिरिक्त संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 के पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के बेवसाइट https://www.mpsmcl.mp.gov.in पर दिनांक 07.01.2025 से उपलब्ध रहेगा। ई-निविदा सह नीलामी से संबंधित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर (खनिज शाखा) अथवा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त की जा सकेगी। ऑनलाईन ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp संपादित की जावेगी ।

(ख) ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्रं.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	ई-निविदा सह नीलामी सूचना प्रकाशन दिनांक	07.01.2025
2.	दस्तावेज अवलोकन एवं डाउनलोड प्रारंभ दिनांक एवं समय	07.01.2025 अपरान्ह 04:00 बजे
3.	(ए) प्री-बिड मीटिंग दिनांक और समय	09.01.2025 पूर्वान्ह 12:00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक
	(बी) प्री-बिड मीटिंग के लिए पता और स्थान	हाईब्रिड मोड में, ऑफ लाईन म0प्र0 राज्य खनिज निगम, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपालमें एवं ऑनलाईन मोड में भाग लेने हेतु लिंक निगम वेब साईट एवं https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp पोर्टल पर दर्शित की जायेगी।
	(सी) शुद्ध पत्र/स्पष्टीकरण प्रकाशन की तिथि	10.01.2025
4.	(ए) दस्तावेज बिक्री प्रारंभ दिनांक	11.01.2025
	(बी) दस्तावेज बिक्री समाप्ति दिनांक और समय	03.02.2025 अपरान्ह 05:00 बजे
5	निविदा प्रस्तुत करने का आरंभ दिनांक और समय:	11.01.2025 पूर्वान्ह 10:00 बजे
6.	निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक और	04.02.2025 अपरान्ह 05:00 बजे

	समय:	
7.	ईएमडी (अमानत) राशि	प्रारंभिक आधार मूल्य की 25 प्रतिशत राशि
8.	निविदा खोलने की दिनांक और समय (तकनीकी प्रस्ताव)	05.02.2025 दोपहर 12:00 बजे
9.	तकनीकी मूल्यांकन उपरांत पात्र एवं अपात्र प्रतिभागियों की घोषणा	11.02.2025 अपरान्ह 03:00 बजे
10.	निविदा खोलने की तारीख और समय (वित्तीय प्रस्ताव)	11.02.2025 अपरान्ह 05:00 बजे
11.	नीलामी हेतु आरंभिक मूल्य	पात्र प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत उच्चतम वित्तीय प्रस्ताव
12.	नीलामी प्रारंभ होने एवं समापन का दिनांक	12.02.2025 पूर्वान्ह 10:00 बजे से पूर्वान्ह 11:00 बजे
13.	ऑटो एक्सटेंशन का समय	08 मिनट
14.	नीलामी के लिए न्यूनतम वृद्धि मूल्य की वृद्धि प्रतिशत	तकनीकी रूप से पात्र प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत उच्चतम वित्तीय प्रस्ताव का 0.25 प्रतिशत या उसके गुणांककी राशि (rounded up to nearest multiple of thousand)
15.	प्रारंभिक आधार मूल्य	परिशिष्ट-1 अनुसार
16.	निविदा की वैधता	180 दिन
17.	पत्राचार के लिए संपर्क अधिकारी का नाम एवं पता :श्री आशुतोष टेमले, महाप्रबंधक (खान), म0प्र0 राज्य खनिज निगम, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0) ईमेल- info.mpsmc@mp.gov.in दूरभाष नंबर- 0755-2763393	

नोटः- 1. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पर्यावास भवन भोपाल स्थित म0प्र0 राज्य खनिज निगम, मुख्यालय कार्यालय में सम्पादित होगी। निविदाऐं https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp पर खोली जायेंगी। प्रतिभागी स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधी के माध्यम से निगम के मुख्यालय में निविदाओं की लाईव ओपनिंग देख सकेंगे। तथापि प्रतिभागी ई नीलामी प्रक्रिया में स्वयं के स्थान से, ऑनलाईन, भाग ले सकेंगे।

2. ऑनलाईन ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निगम, आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेजों/शर्तो में सुधार कर सकेगा तथा उसकी जानकारी ई-निविदा सह नीलामी पार्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp, निगम की बेबसाईट https://www.mpsmcl.mp.gov.in एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 की वेब साईट https://ekhanij.mp.gov.in में ही प्रदर्शित की जावेगी। ऐसा सुधार निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा। इच्छुक प्रतिभागियो को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाईट/पोर्टल नियमित रूप से देखते रहे।

3. **परिभाषाऐं एवंव्याख्या**

(i) " अधिनियम" से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का 67) ;

(ii) "नियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019,यथा संशोधित

(iii) "लेखा वर्ष "से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है ।

(iv) "ई-निविदा सह नीलमी दस्तावेज" से तात्पर्य, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 तथा उनके अंतर्गत निष्पादित समस्त दस्तावेज, ई-निविदा आमंत्रण सूचना, ई-निविदा प्रपत्र एवं उसमें संलग्न अनुबंध एवं अन्य दस्तावेज से है;

(v) "ठेके की अवधि" से तात्पर्य है, नियम-9 में यथा विहित;

(vi) "लागू अधिनियम" से तात्पर्य वे कानून हैं जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हों। इन कानूनों में इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय, डिक्री, ब्यादेश, रिट, आदेश जो कि इस अनुबंध से संबंधित है, भी सम्मिलित हैं;

(vii) **"माईन डेवलपर कम ऑपरेटर" से तात्पर्य-** निगम द्वारा नियम 8 में विहित प्रक्रिया अनुसार नियुक्त माईन डेवलपर कम ऑपरेटर **(जिसे आगे एम0डी0ओ0 कहा गया है),**जो कि उसे आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा ।"

(viii) "पक्षों" से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले तीनों पक्षों से हैं। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से हैं:

(ix) " निगम" तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि0/ मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित से हैं;

(x) " प्रबंध संचालक" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित के प्रबंध संचालक से है;

(xi) " अधिकृत हस्ताक्षरी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसे, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से, कंसॉरशियम में लीड मेम्बर अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा/साझेदारी फर्म एवं एलएलपी में समस्त साझेदारों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा मेनेजिंग पार्टनर द्वारा लिखित/ सोसाइटी में उसके अध्यक्ष द्वारा, कंपनी/कंसॉरशियम/ साझेदारी फर्म/एलएलपी/सोसाइटी की ओर से निविदा संबंधी दस्तावेज हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत किया गया हो एवं जिसके पक्ष में "**परिशिष्ट-5**" में दिये गये प्रारूप में प्राधिकार पत्र निष्पादित किया गया हो;

(xii) ''अनुबंधित राशि'' से तात्पर्य है, नियम-10 में यथा विहित;

(xiii) '' प्रतिभागी/बिडर'' से तात्पर्य है, ई-निविदा सह नीलामी में भाग लेने वाला भारतीय नागरिक, पंजीकृत फर्म, एल.एल.पी., कंसॉरशियम, पंजीकृत सोसाइटी या भारतीय कंपनी (Any Legal Person)

<u>**व्याख्या**</u> **-**

जहॉ भी प्रसंगवश अथवा अपेक्षा हो उसे छोड़कर इस ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र में;

i. एक लिंग दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग सम्मिलित हैं ।

ii. एक वचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित है तथा बहुवचन दर्शाने वाले शब्दों में एक वचन भी सम्मिलित हैं ।

iii. अनुबंध में प्रयुक्त शब्दों 'सहमत','सहमत हुआ' या अनुबंध से लिखित में अनुबंध करनेकी अपेक्षा हैं ।

iv. ''लिखित'' से तात्पर्य, हस्तलिखित, टंकित, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मोड से है जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी अभिलेख तैयार हो सकें ।

4. उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या नियम में समनुदेशित किये गये हैं ।

5. <u>**प्रतिभागी की अर्हताऐं -**</u>

(क) <u>**तकनीकी अर्हता:-**</u>

(i) प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उस पर मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध एवं म0प्र0 राज्य खनिज निगम का, निर्विवाद रूप से स्थापित कोई शोध्य बकाया न हो (अर्थात माननीय न्यायालय/आर्बिटेशन के अंतर्गत वसूली पर रोक हो) एवं यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो उसकी जमा ई0एम0डी0/सुरक्षा राशि रकम से समायोजन योग्य होंगे ।

(ii) प्रतिभागी को पूर्व से खनिज साधन विभाग (मध्यप्रदेश शासन)/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म/निगम द्वारा काली सूची में न डाला गया हो ।

(iii) प्रतिभागी का भारतीय नागरिक, पंजीकृत फर्म, एल.एल.पी., पंजीकृत सोसायटी या भारतीय कंपनी <u>(Any Legal Person)</u> होना अनिवार्य है । उपरोक्त में से अधिकतम दो एंटिटीज का कन्सॉरशियम भी निविदा में भाग ले सकेंगे।

ऑनलाईन ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी को निम्नांकित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होगें ।

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन

		प्रमाण पत्र
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
vi.	कन्सॉरशियम	कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सी0ओ0ए0) एवं दोनो भागीदारों केउपरोक्तानुसार Constitutionबाबत दस्तावेज

(iv) **कन्सॉरशियम (Consortium)-** प्रतिभागी के कन्सॉरशियम होने की स्थिति में, कन्सॉरशियम के भागीदार, जो कि दो से अधिक न हो, को संलग्न "**परिशिष्ट-10**" में विधिमान्य कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट निष्पादित करना होगा।उक्त कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के माध्यम से भागीदार, पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से अनुबंध/ठेके की शर्तो के पालन का दायित्व ग्रहण करेंगे। टर्नओवर एवं नेटवर्थ सम्बंधी वित्तीय अर्हता की पूर्ति हेतु समस्त भागीदारों की अर्हता का समेकन किया जा सकेगा। तथापि दोनो भागीदारों की पृथक-पृथक Positive Net worth होना आवश्यक होगा।

कन्सॉरशियम के सफल निविदाकार होने की स्थिति में, त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादन, निविदा अंतर्गत कार्य का सम्पादन तथा समस्त वैधानिक दायित्व ग्रहण करने हेतु भागीदारों द्वारा स्पेशियल पर्पज वेहिकल (एस0पी0वी0) का गठन किया जायेगा, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में पंजीकृत साझेदारी फर्म होगी। एस0पी0वी0 में कम से कम एक भागीदार की भागीदारिता न्यूनतम 51 प्रतिशत होना आवश्यक है। ऐसा भागीदार कन्सॉरशियम का लीड मेम्बर कहलायेगा। अन्य की भागीदारिता न्यूनतम 26 प्रतिशत होना आवश्यक है। उक्त न्यूनतम भागीदारी की निरंतरता अनुबंध अवधि तक बनाये रखना अनिवार्य होगा।

प्रतिभागी के कन्सॉरशियम होने की स्थिति में सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया कन्सॉरशियम के नाम पर लीड मेम्बर द्वारा की जायेगी। लीड मेम्बर द्वारा https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp पर पंजीयन कराया जायेगा। ई0एम0डी0 की राशि/ बैंक गारंटी जमा करना एवं अन्य समस्त ऑपचारिकतायें लीड मेंबर द्वारा स्वयं के नाम पर ही की जायेगी। कन्सॉरशियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन एस0पी0वी0 द्वारा किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि कन्सॉरशियम हेतु,लीड मेंबर द्वारा https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp पर व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर पंजीयन कराया जाना है, अत: लीड मेंबर, चाहे अनुसार, व्यक्तिगत क्षमता में अन्य समूहों की निविदा में तो भाग ले सकेगा, किन्तु उसी समूह में कन्सॉरशियम के रूप में भाग लेने के कारण वह व्यक्तिगतक्षमता में भाग नहीं ले सकेगा।

(v) प्रतिभागी के पास आयकर विभाग का पेन होना अनिवार्य हैं । कन्सॉरशियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में एस0पी0वी0 को पेन नम्बर लेना अनिवार्य होगा।

(vi) जीएसटी एवं समस्त अन्य कर/शुल्क का भुगतान प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिभागी द्वारा किया जावेगा । सफल प्रतिभागी को स्वीकृति के बाद अनुबंध निष्पादन के पूर्व जीएसटी पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। कन्सॉरशियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में एस0पी0वी0 को जीएसटी के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) **<u>वित्तीय अर्हता:-</u>**

प्रतिभागी को निम्न अर्हताओं की पूर्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी:-

क. 31.03.2024 की स्थिति में प्रारंभिक आधार मूल्य की न्यूनतम 10 प्रतिशत Networth, (यदि वित्तीय वर्ष 2023-24के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में दिनांक 31.03.2023 की स्थिति में net worth.)

एवं

ख. अंकेक्षित लेखों के आधार पर विगत पांच वर्षो में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षो का औसत टर्नओवर, प्रारंभिक आधार मूल्य का न्यूनतम 30 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

(टर्नओवर की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20,2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 को आधार माना जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में 2018-19, 2019-20, 2020-21,2021-22 एवं 2022-23 को आधार माना जायेगा।)

इस हेतु निविदाकार को सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) द्वारा "**परिशिष्ट-7"** अनुसार Certificate उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

<u>स्पष्टीकरण:-</u>

क.(i) **<u>शुद्ध परिसंपत्तिक मूल्य की गणना :- (अंग्रेजी अनुवाद परिशिष्ट-6 पर है)</u>**

<u>निविदाकार - कंपनी/भागीदारी फर्म/समिति दायित्व भागीदारी फर्म (LLP):-</u>

शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य से आशय कंपनी/भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी फर्म (LLP) की प्रदत्त पूंजी, अधिशेष (जो कि विगत वर्षो में व्यवसाय के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ से निर्मित हो) और प्रतिभूतियों के प्रीमियम से प्राप्त राशि, जिसमें से व्यवसाय के संबंधित वर्ष तक की समस्त हानि, स्थगित व्यय तथा अभी तक अपलेखित न किये गये व्यय के घटाने के उपरांत, दिनांक 31.03.2023/24 की तिथि में आंकेक्षित तुलन पत्रक अनुसार ही मान्य होगी किन्तु इसमें परिसंपतियों के पुर्नमूल्यांकन, मूल्यह्रास के अधिक अपलेखन और अन्य फर्म/कंपनी के समामेलन से उदभूत रिजर्वस् शामिल नहीं होगी।

<u>निविदाकार-व्यक्ति/प्रोपराईटर:-</u>

व्यक्तिगत प्रकरणों में शुद्ध परिसंपत्तियों से आशय दिनांक 31.03.2023/24 की स्थिति में शेष राशि जिसमें सार्वजनिक/अनुसूचित बैकों में जमा एवं पोस्ट ऑफिस में संबंधित के बचत खातों में जमा राशि, मियादी जमा (जो कि ऋण/कर्ज/गिरवी आदि से मुक्त हों), अनुसूचित बैंक, पोस्ट ऑफिस, सूचीबद्ध कंपनी या सरकारी संस्थान या उपक्रम (केन्द्र/राज्य शासन), किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बॉण्ड, सूचीबद्ध कंपनी के अंश,

फर्मो में स्वयं के नाम से निवेश, सूचीबद्ध म्यूचल फंड में जमा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, लोक भविष्य निधि में जमा शामिल है । (असूचिबद्ध कंपनी के अंश नही जोडे जाने है) जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत निवेश केवल समर्पण मूल्य तक ही मान्य होंगे। स्थायी/अचल संपत्ति यदि भार ग्रस्त न हो तथा संबंधित के पूर्ण स्वामित्व की हो।

अचल संपत्ति का मूल्यांकन संबंधित क्षेत्र के लिए (जहां अचल संपत्ति स्थित है) शासन/प्राधिकृत विहित अधिकारी द्वारा निर्धारित गाईडलाईन मूल्य के अनुसार होना चाहिए।

(ii) प्रतिभागी द्वारा केवल सनदीलेखाकार द्वारा UDIN नम्बर सहित जारी नेटवर्थ एवं टर्नओवर प्रमाण पत्र ही अपलोड किया जावे। जिसका प्रारूप "**परिशिष्ट-7"** पर संलग्न है । उक्त प्रारूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जावे। यदि प्रतिभागी द्वारा नेटवर्थ एवं टर्नओवर संबंधी सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता एवं केवल संबंधित वर्ष का तुलन पत्रक अपलोड किया जाता है तो उसके तकनीकी प्रस्ताव को अमान्य किया जावेगा ।

(iii) **विलोपित**

6. **ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया -**

सीमांकित एवं घोषित रेत खदानें समूहवार ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

(1) ई-निविदा सह नीलामी हेतु पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp का उपयोग किया जायेगा।

(2) इच्छुक निविदाकर्ता को पोर्टल पर निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण उपरांत व्यक्ति/संस्था द्वारा लाग-इन आई.डी. क्रियेट करनी होगी। पोर्टल पर पंजीयन, ई निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया "**परिशिष्ट-2**" पर देखी जा सकती है ।

(3) रेत खदानों के समूहों एवं उनमें सम्मिलित खदानों, निविदत्त मात्रा, अपसेट प्राइज आदि का विस्तृत विवरण "**परिशिष्ट-1"** पर देखा जा सकता है।

समूह की निविदा में सम्मिलित समस्त खदानों में पृथक-पृथक उपलब्ध रेत मात्रा (घनमीटर में) के कुल योग का 250 गुना (रूपये में) उस समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) होगा।

परन्तु किसी समूह के प्रारंभिक आधार मूल्य की गणना हेतु रेत की मांग के आंकलन के आधार पर समस्त खदानों की मात्रा के कुल योग से भिन्न मात्रा भी निर्धारित की जा सकती है।"

(4) इच्छुक पंजीकृत व्यक्ति/संस्था उपरोक्तानुसार विवरण देखने के पश्चात चाहे अनुसार समूह हेतु ई-निविदा सह नीलामी में भाग लेने के पूर्व, निगम के साथ "**परिशिष्ट-3"** अनुसार इस आशय का करार निष्पादित करेगा/करेगी कि उसके द्वारा ई-निविदा सह नीलमी में सम्मिलित किए जाने वाले समूह में सम्मिलित रेत खदानों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया गया है एवं समूह में सम्मिलित रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा, पहुंच मार्ग एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है । निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति अथवा इस संबंध में न्यायालयीन वाद नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात निर्धारित समय में

शोध्यों का भुगतान करने और औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए खदान संचालन हेतु सहमत है । यह करारनामा ऑन-लाईन सहमति के रूप में भी लिया जा सकेगा।

(5) **<u>ई.एम.डी. (अमानत राशि):-</u>**

(क) पंजीकृत व्यक्ति/संस्था चाहे अनुसार एक से अधिक समूह के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगे एवं प्रत्येक समूह हेतु पृथक-पृथक ई.एम.डी. राशि, जो कि समूह के प्रारंभिक आधार मूल्य की 25 प्रतिशत राशि होगी, निगम के पक्ष में निगम के निम्न खाते में जमा करेंगे।

Name of beneficiary and details	Name	**THE MADHYA PRADESH STATE MINING CORORATION LTD.**
	Address	**Bhopal**
	Bank A/c no. beneficiary	**SB- 2073101022015**
	Customer ID/CIF no. of beneficiary	**63842116**
Beneficiary's Bank, Branch and Address	Beneficiary's Bank	**CANARA BANK**
	Branch and Address	**MAHARNA PRATAP NAGAR BRANCH, BHOPAL- 462001**
	SFMS Code/ IFSC Code	**CNRB0002073**

ई.एम.डी. राशि बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जा सकती है । उक्त बैंक गारंटी निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। बैंक गारंटी का प्रारूप "**परिशिष्ट-8**" पर संलग्न है। बैंक गारंटी की मूल प्रति बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व निगम के मुख्य कार्यालय में जमा करनी होगी।

(ख) सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई ई.एम.डी. राशि, देय सुरक्षा राशि में समायोजित की जावेगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी., बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गई हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी वापस की जावेगी।

(ग) सफल प्रतिभागी के चयन उपरांत शेष प्रतिभागीयों की ई.एम.डी. राशि यथा स्थिति ऑन-लाईन वापस की जावेंगी ।

(6) **<u>ई-निविदा की प्रक्रिया:-</u>**

<u>6.1 निविदा कवर</u>

निविदा, दो कवर प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (क्लास-3 डी0एस0सी0 आवश्यक) और प्रतिभागी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नानुसार स्व-प्रमाणित करके ऑन-लाईन प्रस्तुत की जायेगी । तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव मात्र ऑन लाईन मोड में ही सबमिट किये जावेंगे। यदि प्रतिभागी द्वारा उपरोक्त कंडिका 5.5(क) के अनुसार ई0एम0डी0 राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है तो निविदा प्रस्तुत करने की अंतिमतिथि एवं समय के पूर्व बैंक गांरटी की मूल प्रति निगम के मुख्य कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की फिजिकल बिड मान्य नहीं की जावेगी ।

6.2 कवर-1 तकनीकी दस्तावेज जो कि अपलोड किये जाने है:-

6.2.1 प्रतिभागी का भारतीय नागरिक, पंजीकृत फर्म, एल.एल.पी., पंजीकृत सोसायटी या भारतीय कंपनी (Any Legal Person)होना अनिवार्य है । उपरोक्त में से अधिकतम दो एंटिटीज का कन्सॉरशियम भी निविदा में भाग ले सकेंगे।

ऑनलाईन ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी को निम्नांकित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होगें ।

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
vi.	कन्सॉरशियम	कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सी0ओ0ए0) एवं दोनो भागीदारों केउपरोक्तानुसार Constitution बाबत दस्तावेज

6.2.2 प्रतिभागीको आयकर विभाग का पेन कार्ड आपलोड करना होगा । कन्सॉरशियम के प्रतिभागी होने की स्थिति में दोनो भागीदारों के पेन कार्ड अपलोड करना होगा। कन्सॉरशियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में एस0पी0वी0 को पेन नम्बर लेना अनिवार्य होगा।

6.2.3 इच्छुक पंजीकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण देखनें के पश्चात चाहे अनुसार समूह हेतु निविदा में भाग लेने के पूर्व निगम के साथ "**परिशिष्ट**-3" में इस आशय का करार निष्पादित किया जायेगा कि उसके द्वारा उपरोक्तानुसार ई-निविदा सह नीलामी में शामिल किये जाने वाले समूह में शामिल रेत खदानों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया है एवं समूह में शामिल रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा, पहुंच मार्ग एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है । संबंधित समूह की ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया अंतिम हो जाने के पश्चात उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति अथवा इस संबंध में न्यायालयीन वाद नहीं प्रस्तुत किया जायेगा। ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात निर्धारित समयावधि के देय राशि का भुगतान करने एवं औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए खदान संचालन हेतु सहमत है । **यह करारनामा ऑन-लाईन सहमति के रूप में लिया जावेगा ।**

निविदाकार को ''परिशिष्ट-03'' पर दर्शित ऑन-लाईन करार/वचन/सहमति पत्र डाउनलोड कर, आवश्यक प्रविष्टियां कर एवं हस्ताक्षरित कर, स्कैन प्रति डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट के माध्यम से ऑन-लाईन अपलोड करना होगा ।

(स्पष्ट किया जाता है कि इस ऑन लाईन करार/वचन पत्र/ सहमति पत्र के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है एवं Stamp शुल्क आदि देय नहीं होगा।)

6.2.4 प्रतिभागी को ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करते समय "**परिशिष्ट-4**" अनुसार प्रतिभागी का विवरण प्रस्तुत करना होगा ।

6.2.5 यदि आवेदक व्यक्ति नहीं है, तो उसे "**परिशिष्ट-5**" में दर्शित प्रारूप अनुसार "अधिकृत हस्ताक्षरी" का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा। "प्राधिकार पत्र" पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अलावा निष्पादक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- "**परिशिष्ट-5**" (प्राधिकार पत्र), रू. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित एवं विधिवत नोटराइज कर, स्केन कर अपलोड किया जाना होगा। कम राशि के स्टाम्प ड्यूटी भुगतान होने की स्थिति में तकनीकी प्रस्ताव अमान्य किया जावेगा। कन्सॉरशियम के प्रतिभागी होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र का निष्पादन लीड मेम्बर द्वारा किया जायेगा।

6.2.6 प्रतिभागी को निम्न अर्हताओं की पूर्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी:-

क. 31.03.2024 की स्थिति में प्रारंभिक आधार मूल्य की न्यूनतम 10 प्रतिशत Networth,

(यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति मेंदिनांक 31.03.2023 की स्थिति में प्रारंभिक आधार मूल्य की न्यूनतम 10 प्रतिशत Networth)

ख. अंकेक्षित लेखों के आधार पर विगत पांच वर्षो में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षोकी औसत टर्नओवर, प्रारंभिक आधार मूल्य का न्यूनतम 30 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

(टर्नओवर की गणनाहेतु वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 को आधार माना जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 को आधार माना जायेगा।)

इस हेतु निविदाकार को सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) द्वारा परिशिष्ट-7 अनुसार Certificate उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

6.3 <u>कवर-2 (वित्तीय प्रस्ताव)</u>

प्रतिभागी द्वारा वित्तीय प्रस्ताव को पोर्टल पर निर्धारित स्थान परऑनलाईन प्रविष्टि करनी होगी एवं डिजिटली हस्ताक्षरित करना होगा।

6.4 निविदा प्रस्तुत करना और मूल्यांकन प्रक्रिया

6.4.1 कंडिका 6.2 एवं 6.3 के अनुसार सभी दस्तावेजों के साथ होने पर निविदा को पूरा माना जाएगा, सिस्टम केवल ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत अंतिम निविदापर विचार करेगा।

6.4.2 ई-निविदा पोर्टल में, प्रतिभागियों को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक और समय से पहले कितनी भी बार निविदा को संशोधित करने की अनुमति है । इस हेतु प्रतिभागियों को सिस्टम पर लॉग इन करना होगा और वित्तीय निविदा सहित सिस्टम द्वारा मांगे गए दस्तावेजों

को फिर से जमा करना होगा एवं पहले से प्रस्तुत की गई निविदा को, सिस्टम में delete ऑपशन का चयन कर, हटाना होगा। हालांकि,प्रतिभागियों को सिस्टम की विफलता या इंटरनेट या नेटवर्क का कनेक्शन या बिजली की विफलता से बचने के लिए अंतिम समय में निविदा में संशोधन से बचना चाहिए। यदि प्रतिभागी प्राप्ति के निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी संशोधित निविदा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो पूर्व की निविदा के डिलीट होने के कारण, मूल्यांकन हेतु उसकी कोई निविदा मान्य नहीं रहेगी।

6.4.3 निविदा खोलने की दिनांक, ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में निर्दिष्ट हैं। इस दिनांक को शुद्धिपत्र के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

6.4.4 केवल उन प्रतिभागियों को प्राधिकारी द्वारा योग्य माना जाएगा, जो आवश्यक निविदा शुल्क, ईएमडी और दस्तावेज जमा करते है, बिना शर्त निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तो को स्वीकार करते हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मापदंड की आवश्यकता को पूरा करते है । इस संबंध में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

6.4.5 प्रतिभागी अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहनकरेगा और निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना प्राधिकारी इन लागतों के लिए किसी भी स्थिति में जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

6.4.6 तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी भी दस्तावेज में दी गई जानकारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो निविदा को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है। प्राधिकारी प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज के लिये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सकता है।

6.4.7 तकनीकी मूल्यांकन के बाद, सभी प्रतिभागियों को वेबसाइट पर उनकी पात्रता के संबंध में पुष्टि मिल जाएगी। तत्पश्चात, सभी पात्र प्रतिभागियों को एक सिस्टम जनित ई-मेल पुष्टिकरण भेजा जाएगा ।

6.4.8 तकनीकी रूप से योग्य पाये गये प्रतिभागियों का वित्तीय प्रस्ताव ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम या शुद्धिपत्र यदि कोई हो, में उल्लेखितअधिसूचित/विस्तारित खुलने की तारीख और समय पर खोला जायेगा।

6.4.9 वित्तीय प्रस्ताव केवल उन्ही निविदाकारों के मान्य किये जावेंगे जिनका प्रस्ताव आरक्षित मूल्य से अधिक है।

6.4.10 तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव के घटते क्रम में सूचीबद्ध किया जावेगा एवं इनमें से उच्चतम 50 प्रतिशत निविदाकारों (with any fraction rounded off to higher integer) या प्रथम पांच तकनीकी पात्र निविदाकारों, जो भी अधिक हो, को ई- नीलामी हेतु पात्र माना जावेगा। उच्चतम प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव को ई-नीलामी हेतु आधार मूल्य मान्य किया जावेगा।

यदि तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों की संख्या तीन से पांच के मध्य हो तो सभी निविदाकारों को ई-नीलामी हेतु पात्र माना जावेगा। यदि एकाधिक निविदाकारों द्वारा समान

राशि का वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उच्चतम 50 प्रतिशत निविदाकारों की गणना हेतु उन्हे समान श्रेणी में रखा जावेगा एवं ऐसी स्थिति में उक्त समान दर की निविदा हेतु 50 प्रतिशत की सीमा बढी हुई मानी जावेगी।

6.4.11 यदि प्रथम निविदा आमंत्रण में तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों की संख्या तीन से कम हो तो निविदा प्रक्रिया निरस्त कर पुन: समान शर्तो पर ई-निविदा- सह-नीलामी की जावेगी ।

6.4.12 परन्तु द्वितीय अथवा आगामी निविदा आमंत्रण में निविदा की संख्या दो से कम होती है तो संचालक द्वारा इसके कारणों की जानकारी प्राप्त की जावेगी तथा राज्य शासन की अनुमति से समस्त ऐसे कार्य/उपाय, जिसमें निविदत्त मात्रा का पुर्ननिर्धारण एवं समूह का पुनर्गठन सम्मिलित है, किये जावेंगे जिससे उस समूह की रेत खदानों के लिए निविदा प्राप्त हो सके।

6.5 ई-नीलामी की प्रक्रिया

6.5.1 प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी मापदंडों जैसे ई-नीलामी प्रारंभ दिनांक/समय समाप्ति दिनांक/समय,न्यूनतम वृद्धि मूल्य, ऑटो एक्सटेंशन आदि पर सिस्टम द्वारा उत्पन्न अधिसूचना के लिए सतर्क रहें ।

6.5.2 पात्र प्रतिभागी, ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में उल्लेखित निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार ई-नीलामी में भाग लेंगे।अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण दिनांक में किसी परिवर्तन के मामले में, संशोधित दिनांक और समय सूचित किया जाएगा ।

ई नीलामी प्रक्रिया के दौरान सभी प्रतिभागियों की पहचान गोपनीय रहती है।

6.5.3 प्रतिभागियों को ई-नीलामी में प्रारंभिक नीलामी मूल्य के ऊपर उद्धत करना होगा। प्रतिभागियों सफल प्रतिभागी बनने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया में उपयुक्त रूप से प्रस्ताव बढ़ा सकते हैं। प्रस्ताव में न्यूनतम वृद्धि ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में दर्शाए अनुसार होगी। ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में दर्शाए अनुसार न्यूनतम वृद्धिशील मूल्य से कम वृद्धि ई-नीलामी सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।

6.5.4 प्रारंभ में ई-निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में उल्लिखित समय तक जारी रहेगी। यदि कोई प्रतिभागी नीलामी बंद होने के अंतिम 08 मिनिट में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो नीलामी का समय स्वचालित रूप से, उस प्रस्ताव से आगामी 08 मिनिट हेतु बढ जायेगा। ऑटो एक्सटेंशन प्रक्रिया तब तक दोहराई जायेगी जब तक जब तक अंतिम प्रस्ताव से 08 मिनिट के भीतर कोई नई बोली प्राप्त न हो।

6.5.5 सफल प्रतिभागी (एच-1 प्रतिभागी) का चयन नीलामी में प्राप्त उच्चतम मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

6.5.6 ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, सत्यापन के लिए प्राधिकारी को कवर 1 (तकनीकी निविदा) में सफल प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मूल दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

6.6 **अन्य शर्ते**

6.6.1 प्रतिभागियों को अपनी निविदा के संबंध में किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण/पत्राचार की प्राप्ति के लिए ई-निविदा पोर्टल पर पंजीकृत अपने ई-मेल की लगातार जांच करते रहना चाहिये।

6.6.2 यदि प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत/अपूर्ण पाई जाती है,तो निविदा/अनुबंध को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ईएमडी को जप्त कर लिया जाएगा। प्राधिकारी, प्रतिभागियों को ई-मेल प्राप्त न होने/विफल होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6.6.3 प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6.6.4 सशर्त प्रस्ताव अस्वीकृत किये जावेंगे ।

6.6.5 उन प्रतिभागियों की निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन्होने ई-निविदा सह नीलामीसूचना के अनुसार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है ।

6.6.6 इस ई-निविदा सह नीलामी के संबंध में स्वयं के पक्ष को पुष्ट किये जाने हेतु प्रचार,चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,सख्ती से प्रतिबंधित है और निविदा लगाने वालों द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएं रद्द करने के लिए उत्तरदायी होंगी ।

6.6.7 यह प्रस्ताव किसी भी प्रतिभागी को सफल प्रतिभागी घोषित करने से पहले जांच और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है ।

7. (क) कंडिका 6.5.5 के अनुसार चयनित सफल प्रतिभागी (एच-1 प्रतिभागी) को निगम द्वारा 7 कार्य दिवस में निम्न राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र, जारी किया जावेगा:-

सुरक्षा राशि:- उच्चतम प्राप्त निविदा राशि का 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में देय होगा। यह सुरक्षा राशि, पूर्व में ऑन-लाईन नगद जमा ई.एम.डी. राशि के समायोजन उपरांत, निगमके निम्नलिखित खाते में जमा की जावेगी:-

Name of beneficiary and details	Name	**THE MADHYA PRADESH STATE MINING CORORATION LTD.**
	Address	**Bhopal**
	Bank A/c no. beneficiary	**SB- 2073101022015**
Beneficiary's Bank, Branch and Address	Beneficiary's Bank	**CANARA BANK**
	Branch and Address	**MAHARNA PRATAP NAGAR BRANCH, BHOPAL- 462001**
	SFMS Code/ IFSC Code	**CNRB0002073**

यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी., बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गयी हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गयी बैंक गारंटी वापस की जावेगी।

प्रथम माह की किश्त अग्रिम में देय होगी।

(ख) उपरोक्त राशियां प्राप्त होने पर निगम द्वारा सफल प्रतिभागी को वचनबंध प्रस्तुत करने एवं अनुबंध निष्पादन हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

8. **अनुबंध का निष्पादन -** नियम 13 अनुसार किया जायेगा, -

8.1. सफल प्रतिभागी, आशय पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर **"परिशिष्ट-3"**पर संलग्नप्रारूप में निगम को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि, अनुमत सीमा तक ही खनन

किया जाएगा और वह नियम 14 के उप नियम (2) के अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप करेगा और वह समूह में सम्मिलित किसी विशिष्ट खदान का अनुबंध निष्पादन हेतु तैयार है।

8.2 सफल प्रतिभागी द्वारा उक्त वचन बंध के साथ निम्न स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

(i) आयकर स्थाई खाता क्रमांक (पेन) की प्रति

(ii) जी.एस.टी. नंबर प्रमाण पत्र की प्रति

(iii) निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑन-लाईन करार/वचन पत्र/ सहमति पत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड), निविदाकार का विवरण, प्राधिकार पत्र, स्थल भ्रमण प्रमाणपत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड) की मूल प्रति

(iv) निविदाकार के संबंधी दस्तावेज की प्रति,

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
vi.	कन्सॉरशियम	कन्सॉरशियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सी0ओ0ए0) एवं दोनो भागीदारों केउपरोक्तानुसार Constitution बाबत दस्तावेज

(v) निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति ।

8.3 वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत रेत समूह ठेका का त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत कराया जावेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध "**परिशिष्ट-11**" पर संलग्न प्रारूप में कलेक्टर एवं निगम के अधिकृत प्रतिनिधि तथा सफल निविदाकार द्वारा निष्पादित किया जावेगा। कन्सॉरशियम होने की स्थिति में अनुबंध का निष्पादन एस0पी0वी0 द्वारा किया जायेगा। संपूर्ण खदानों की सूची अनुबंध का भाग होगी। अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन एम.डी.ओ. के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा। खदानवार वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने पर, पृथक-पृथक खदानवार ठेका अनुबंध किया जावेगा।

8.4 यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं

होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा। परंतु यह कि आशय पत्र धारक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के उपस्थित होने के 5 दिवस के भीतर अनुबंध का निष्पादन सभी पक्षों के लिये अनिवार्य होगा।"

8.5 इस तरह अनुबंधित आशय पत्र धारक माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) होगा, जो कि आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

9. **निविदा में सम्मिलित रेत समूह की अवधि -** नियम 9 अनुसार होगी -

समूह की खदानों की ठेका अवधि 03 वर्ष होगी। जिसमें अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध दिनांक से की जाएगी तथापि अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

10. **ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतान:-** नियम 10 अनुसार होगी -

10.1.1 ई-निविदा सह नीलामी में प्राप्त उच्चतम राशि वार्षिक ठेका राशि होगी एवं ठेके के प्रथम वर्ष में वार्षिक ठेका राशि ही देय होगी। ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं नियम 9 अनुसार विस्तारित अवधि में वार्षिक ठेका राशि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

उदाहरणार्थ-

समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य - रूपए 18.00 करोड

उच्चतम प्राप्त निविदा राशि (वार्षिक ठेका राशि) - रूपए 21.00 करोड

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष में देय राशि (रूपए)	द्वितीय वर्ष में देय राशि (रूपए)	तृतीय वर्ष देय राशि (रूपए)	चतुर्थ वर्ष देय राशि (रूपए)	पंचम वर्ष देय राशि (रूपए)
1.	वृद्धि का प्रतिशत	-	10%	10%	10%	10%
2.	वृद्धि राशि	-	2.10 करोड	2.10 करोड	2.10 करोड	2.10 करोड
3.	कुल देय राशि	21 करोड	23.10 करोड	25.20 करोड	27.30 करोड	29.40 करोड

टिप्पणी:- वार्षिक ठेका राशि मासिक किश्तों में माह के प्रथम दिवस को अग्रिम में देय होगी। यदि माह का प्रथम दिवस शासकीय अवकाश हो तो मासिक किश्त इसके अगले दिन जमा करायी जाएगी। प्रथम किश्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देय होगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जायेगी। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में वार्षिक ठेका राशि के क्रमश: चार, तीन एवं तीन प्रतिशत एवं शेष राशि अन्य 9 माहों में समान किश्तों में देय होगी। ठेका अवधि के प्रथम एवं अंतिम माह में किश्त की गणना समानुपातिक रूप से की जाएगी। मासिक किश्त की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर समूह की खदानों की ई0टी0पी0 चालू की जा सकेगी। किन्तु माह के अंत तक मासिक किश्त की सम्पूर्ण राशि, मय ब्याज के जमा करनी होगी अन्यथा ई0टी0पी0 पर रोक लगा दी जावेगी। जमा राशि की समानुपातिक रेत की मात्रा एम0डी0ओ0 को निवर्तन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी।

10.1.2 ठेका राशि के अतिरिक्त समस्त अन्य कर, शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे।

10.1.3 यदि किसी माह में निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिये देय राशि, उस माह हेतु संदत्त किश्त राशि से अधिक है तो, अतिरिक्त राशि, ठेका किश्त के अतिरिक्त पृथक से अग्रिम में संदेय होगी। उक्त राशि अतिरिक्त उठाव की गई रेत की मात्रा एवं समूह की स्वीकृत ठेका राशि एवं निविदत्त मात्रा के आधार पर निकाली गई प्रति घनमीटर राशि का गुणनफल होगा। उक्त राशि न चुकाये जाने की स्थिति में निगम/कलेक्टर खनिज परिवहन हेतु अपेक्षित अभिवहन पारपत्र जारी किया जाना रोक देगा। इस प्रकार जमा अतिरिक्त राशि एवं उठाई गई/उठाई जाने वाली मात्रा, वार्षिक ठेका राशि एवं मात्रा अनुसार समायोजन योग्य होगी।

10.1.4 ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित बैंक खाते में जमा कराया जाना होगा। जिसका विवरण पृथक से तत्समय उपलब्ध कराया जावेगा। विलंबित भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चत दर पर ब्याज देय होगा।

10.1.5 समूह की एक भी खदान का अनुबंध होने पर ठेका प्रारंभ माना जावेगा।

10.1.6 खदानवार मात्रा निविदत्त न होकर संपूर्ण समूह के लिये एकजाई रूप से मात्रा निविदत्त है। खदान से उत्खन्न की मात्रा खदान विशेष के लिये प्राप्त वैधानिक अनुमति तक सीमित होगी।

11. वैधानिक अनुमतियॉ:-

11.1.1 निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश की समस्त रेत खदानों का उत्खनिपट्टा दस वर्षो के लिये आवंटित किया गया है। निगम द्वारा इन रेत खदानों से उत्खनन एवं विक्रय का कार्य, नियम 8 में वर्णित प्रक्रिया अनुसारचयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) से कराया जावेगा।

11.1.2 रेत खदानों के समूह के एम0डी0ओ0 द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन किया जायेगा।

11.1.3 चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां यथा खनन योजना का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति आदि निगम के प्रबंध संचालक द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा, निगम के पक्ष में प्राप्त जा चुकी/जा रही है। इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

11.1.4 समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तो के उल्लघनहेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

11.1.5 समूह में सम्मिलित सभी चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों जिनकी वैधानिक स्वीकृतियॉ प्राप्त हो चुकी है, की वैधानिक स्वीकृतियों की अनुमत मात्रा का योग ही, समूह की कुल खनन योग्य उपलब्ध मात्रा होगी तथा निविदा प्रकाशन की तारीख तक जिन खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो, निगम द्वारा उन खदानों को भी, आवेदन में उल्लेखित मात्रा के आधार पर निविदा में सम्मिलित किया गया है। समूह में शामिल रेत

खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों की निविदा जारी दिनांक की अद्यतन स्थिति "**परिशिष्ट-9**" पर है।

11.1.6 ठेका के संचालन की अवधि के दौरान कोई नवीन खदान के लिए प्रस्ताव कलेक्टरको प्राप्त होता है, तो कलेक्टर, आवश्यक जांच के पश्चात निकटतम उपयुक्त समूह में खदान शामिल कर सकेगा। इस नवीन खदान की अवधि ठेका की समाप्ति की अवधि तक मान्य होगी।

समूह की कुल मात्रा की अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा की क्षमता तक नवीन खदानें जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियाँ निगम द्वारा प्राप्त की जायेगी, जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जायेगा।"

11.2 वैधानिक अनुमतियॉं- वैधानिक अनुमतियॉं निम्नानुसार हैं :-

11.2.1 खनन योजना- निगम द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियमों के तहत तैयार की जाएगी।

11.2.2 पर्यावरण स्वीकृति - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

11.2.3 जल एवं वायु सम्मति - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन निगम द्वारा प्राप्त कीजाएगी।

11.2.4 अनुमत मात्रा - खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति, इनमें से जो भी कम हो तक ही खनन अनुज्ञेय होगा, जो कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा के अधीन होगा।

11.2.5 वैधानिक अनुमतियों के बिना अथवा वैधानिक अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा मे खनन किए जाने पर एम0डी0ओ0 के विरूद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं अन्य लागू नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

12. **खनन संक्रियाओं का प्रारंभ किया जाना -**

12.1 सफल प्रतिभागी, अनुबंध का निष्पादन तथा पंजीयन के पश्चात किन्तु खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व निगम एवं कलेक्टर को इस आशय की सूचना देगा। निविदा प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात खदान क्षेत्र में उपलब्ध खनिज मात्रा, पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित कारणों के संबंध में आपत्तियों स्वीकार योग्य नहीं होगी।

12.2 अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निर्धारित तिथि को समूह की ठेका राशि जमा करने की शर्त पर,जब भी खदान की वैधानिक अनुमति प्राप्त होती है, उनमें खनन संक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। समूह की सभी खदानों की आवश्यक वैधानिक अनुमतियॉं एक साथ प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।"

13. **<u>ठेकों का निरस्त किया जाना -</u>** नियम-15 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार होगा,

13.1 निगम द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के एम0डी0ओ0 द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लघन, देय राशि विहित समयावधि में जमा न करने के कारण, पर्यावरण नियमों का सम्यक रूप से पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जाना पाये जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रुटि किए जाने की स्थिति में नियम तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करेगा। निगम के प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा एम0डी0ओ0 से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तरका परीक्षण करने के पश्चात, सनुवाई का उचित अवसर देते हुए या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या सम्यक रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।

ऐसे एम0डी0ओ0 जिनका रेत खदानों के समूह का ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हे विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा। ये एम0डी0ओ0 ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिषिद्ध होंगे ।

13.2 ठेका निरस्त करने के ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

13.3 प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।"

14. समूह का समर्पण - नियम-16 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जा सकेगा,

एम0डी0ओ0, निगम को किसी भी समय तीन माह अग्रिम में सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकेगा। निगम/राज्य शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतानकरने के पश्चात उक्त ठेका समर्पण, राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर, स्वीकार किया जा सकेगा।

परन्तु एक बार समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात यह अविखण्डनीय होगा तथा राज्य शासन निर्धारित समयावधि में ऐसा समर्पण स्वीकार करेगा तथा एम0डी0ओ0, अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तो के अधीन समूह का कब्जा सौंप देगा:

परन्तु यह भी कि, समूह के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा समूह की पुन: निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।

15. **<u>भविष्य निधि तथा लेबर संबंधी नियमों का पालन:-</u>**

प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार एम0डी0ओ0 को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मजदूरों से संबंधितबीमा, पी.एफ. इत्यादि नियमों का पालन करना होगा। एम0डी0ओ0 को पाक्षिक लेबर रिपोर्टनिगम/कलेक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एम0डी0ओ0 द्वारा उक्त नियमों के पालन न

करने की स्थिति में प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड के भुगतान का संपूर्ण दायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम पर अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड आदि की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि एम0डी0ओ0 को आवंटित क्षेत्र में रेत उठाव एवं बिक्री के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के फलस्वरूप धन-जन की हानि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम/कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

एम0डी0ओ0, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

16. **खदानों के सीमा चिन्ह -**

एम0डी0ओ0 स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरूस्त रखेगा।

17. **ठेका अहस्तांतरणीय है-** एम0डी0ओ0, ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

18. एम0डी0ओ0, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगी।

19. एम0डी0ओ0,उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

20. एम0डी0ओ0खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

21. एम0डी0ओ0, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

22. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह निगम को आवंटित पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनोंकी स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे तथा एम0डी0ओ0 को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

23. खदानों का संचालन ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, निष्पादित अनुबंध, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 तथा रेत खनिज के खनन, परिवहन एवं उपयोग आदि पर लागू प्रावधानों/नियमों के अधीन होगा।

24. **(क) ई.एम.डी./सुरक्षा राशि की जप्ती -**

ई.एम.डी./सुरक्षा राशि निम्न कारणों से जप्त करने का अधिकार निगम को होगा:-

(i) यदि प्रतिभागी वैधता अवधि (जो कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से छः माह होगी) में अपना ऑफर वापिस ले लेता है।

(ii) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 के पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

यदि एम0डी0ओ0द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो उसका ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि सफल प्रतिभागी के पक्ष में सूचना/आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या उसके द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा उसका सूचना/आशय पत्र/ अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिभागी को अयोग्य घोषित किये जाने अथवा एम0डी0ओ0 के अनुबंध निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उसकी ई0एम0डी0 राशि/ सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त कीजावेगी तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 को हुई किसी भी हानि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(iii) मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र एवं अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत ठेका निरस्त किये जाने पर ।

(iv) यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर जिला समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा।

25. प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उस पर मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध एवं म0प्र0 राज्य खनिज ***निगम का, निर्विवाद रूप से स्थापित*** कोई शोध्य बकाया न हो एवं यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो उसकी जमा ई0एम0डी0/सुरक्षा राशि रकम से समायोजन योग्य होंगे।

26. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी, ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम राशि को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है एवं कारण बताये बिना, उसे स्वीकार करने अथवा स्वीकार नहीं करने के लिये स्वतंत्रहै। निगम द्वारा ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया किसी भी चरण में बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

27. **ई-निविदा सह नीलामी दस्तावेजों में सुधार-**

ई-निविदा सह नीलामी की अंतिम तारीख के पूर्व निगम आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेजों में सुधार कर सकेगा जिसकी जानकारी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पोर्टल mpsmcl.mp.gov.in एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 के पोर्टल ekhanij.mp.gov.in, में ही प्रदर्शित किये जायेगें। अत: इच्छुक प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे इन बेवसाइट/पोर्टल्स को नियमित रूप से देखें।

28. **खदान एवं रेत का विवरण-**

ठेकेदार को प्रत्येक खदान क्षेत्र में ठेकेदार एवं खदान का विवरण, रेत की विक्रय दर, मजदूरों द्वारा लिये जा रहे लोडिंग/अनलोडिंग की दर इत्यादि की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा ।

29. रेत परिवहन में संलग्न वाहनों एवं खदान पर जीपीएस अथवा विहित अनुसार समकक्ष तकनीकी यंत्र स्थापित वाहनों से रेत का परिवहन किया जाना एवं खदान पर निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन्स के सी.सी.टी.वी. केमरा स्थापित किया जाना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात अनिवार्य होगा।

30. **ठेके के दौरान राज्य शासन/निगम के निर्देश आदि -**

राज्य शासन/प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम ठेका कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तथा ठेके की अवधि के दौरान किन्ही अन्य व्यवहारिक शर्तो का समावेश करने तथा कार्यपालिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगें, जो एम0डी0ओ0 के लिये बंधनकारी होगा। ठेके की शर्तो की व्याख्या का अधिकार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम का होगा। एवं उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

31. निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खनिज का निवर्तन अनुबंधित एम0डी0ओ0 द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय - 8 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

32. रेत खनिज के भण्डारण हेतु मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय -9 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

33. समूह का ठेका निरस्त अथवा समर्पित होने की स्थिति में एवं समूह में विधिमान्य एम0डी0ओ0 नियुक्त न होने की स्थिति में, रिक्त समूह की अंतिम स्वीकृत दर अथवा रिक्त समूह के जिले में स्वीकृत अन्य ठेको की उच्चतम दर पर उक्त उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 को अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध तक, जो भी कम हो, की अवधि हेतु सहमति के आधार पर संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दी जाने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 का समूह संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। यही प्रक्रिया तृतीय एवं आगामी क्रम के एम0डी0ओ0 के लिये भी अपनाई जायेगी।

उदाहरणार्थः- जिले में गठित समूह- क, ख, ग, घ

रिक्त समूह - ख

उच्चतम स्वीकृत निविदा दर वाले जिले (घटते क्रम में) - ग, ख, क, घ

रिक्त समूह आवंटन की दर - समूह 'ग' की दर के समतुल्य

समूह संचालन हेतु प्रथम आमंत्रण - समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय आमंत्रण - समूह 'क' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'क' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय

आमंत्रण - समूह 'घ' के एम0डी0ओ0 को

परन्तु रिक्त समूह के जिले में अन्य ठेका स्वीकृत न होने पर, रिक्त समूह के जिले अथवा समूह के जिले की भौगोलिक सीमा से लगे हुए यथा विहित जिले के समूहों की उच्चतम दर पर, उक्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले अनुबंधित एम0डी0ओ0 को, अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध, जो भी कम हो, की अवधि हेतु संचालन हेतु सहमति के आधार पर आवंटित किया जा सकेगा। उक्त एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने पर उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया से जिले की सीमा से लगे हुये अन्य जिले के एम0डी0ओ0 को आवंटन किया जावेगा।

34. विलोपित

35. राज्य सरकार द्वारा खदान समूह या किसी समूह में शामिल खदान विशेष से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश का एम0डी0ओ0 पालन करेगा।

36. अनुबंध पर स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय होगा।

37. **<u>प्रयोजन -</u>**

एम0डी0ओ0, उस प्रयोजन से, जिसके लिये उसको ठेका दिया गया है, से भिन्न प्रयोजन के लिये दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

38. **<u>छूट-</u>** नियम-4 अनुसार रियायत की पात्रता रहेगी।

39. **<u>आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य -</u>**

निविदा के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथा स्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरिम आदेश एवं कंडिका 30 के अनुसार जारी आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में एम0डी0ओ0द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जावेगी ।

40. **<u>विवादों का निपटरा -</u>**

अनुबंध में विहित प्रावधान अनुसार होगा।

41. **<u>अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-</u>**

अनुबंध में विहित प्रावधान अनुसार होगा।

परिशिष्ट-1

ई-निविदा सह नीलामी में सम्मिलित खदानों के समूह का ब्यौरा

समूह का नाम/क्रमांक- बालाघाट

जिला-बालाघाट

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 04.02.2025 **समय- अपरान्ह 05:00 बजे**

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (है. में)	अनुमोदित मात्रा (घन. मी)	आधार मूल्य (अपसेट प्राईज रूपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बालाघाट	कटंगी	बाहकल	01 भाग, 231 भाग	3.239	13603.8	
2	बालाघाट	कटंगी	कलगांव	185	2.500	16500	
3	बालाघाट	कटंगी	जरामोहगांव	457	4.300	64500	
4	बालाघाट	किरनापुर	पानगांव	547	3.000	30600	
5	बालाघाट	किरनापुर	केशा	164	4.500	40500	
6	बालाघाट	किरनापुर	बिनोरा	01&46 भाग	6.318	56862	
7	बालाघाट	किरनापुर	कडकना	245	7.229	65061	
8	बालाघाट	किरनापुर	सेवती	258	8.788	84364	
9	बालाघाट	किरनापुर	मुण्डेसर्रा	529/1	15.430	101838	
10	बालाघाट	खैरलांजी	चिचोली	387	1.458	12247.2	
11	बालाघाट	खैरलांजी	टुय्यापार	583	1.012	15180	
12	बालाघाट	खैरलांजी	घोटी	1/1.	2.900	19140	
13	बालाघाट	खैरलांजी	लावनी	473	1.822	22957.2	
14	बालाघाट	खैरलांजी	चुटिया	251	4.500	27000	
15	बालाघाट	खैरलांजी	गजपुर	208	4.900	29400	
16	बालाघाट	खैरलांजी	गुनई	12	4.500	32400	
17	बालाघाट	खैरलांजी	अतरी	455	4.000	36000	
18	बालाघाट	खैरलांजी	बकोडी	1	4.500	40500	
19	बालाघाट	खैरलांजी	टेमनी	332/1	4.500	43200	
20	बालाघाट	खैरलांजी	चिचगाव	5	4.806	43254	
21	बालाघाट	खैरलांजी	भोरगढ	457/1	4.950	44550	
22	बालाघाट	खैरलांजी	चिचोली	463	4.990	59880	
23	बालाघाट	खैरलांजी	खैरी	854	4.000	60000	
24	बालाघाट	खैरलांजी	मोवाड	209/1	4.202	63030	
25	बालाघाट	खैरलांजी	सावरी	795	4.920	73800	
26	बालाघाट	तिरोडी	हरदोली	456	4.480	40320	
27	बालाघाट	तिरोडी	बम्हनी	418/1/1	3.402	51030	
28	बालाघाट	तिरोडी	बोनकट्टा	443/1, 443/2	4.750	54150	
29	बालाघाट	तिरोडी	कोडबी	285	4.960	74400	
30	बालाघाट	बालाघाट	ठाकुरटोला	125	1.000	7200	
31	बालाघाट	बालाघाट	भालेवाडा	207 भाग	1.944	11664	
32	बालाघाट	बालाघाट	मगरदर्रा	01 भाग	1.000	16800	

33	बालाघाट	बालाघाट	कुकडा	258 भाग	2.000	18000	
34	बालाघाट	बालाघाट	बरखों	22	3.150	18900	
35	बालाघाट	बालाघाट	भमोड़ी	1/1.	1.328	22310.4	
36	बालाघाट	बालाघाट	बरखेडा	45	3.220	28980	
37	बालाघाट	बालाघाट	रोशना	1	4.500	29700	
38	बालाघाट	बालाघाट	धापेवाडा	144	3.000	30182	
39	बालाघाट	बालाघाट	भटेरा	14 /1	7.000	105000	
40	बालाघाट	बैहर	लहंगाकन्हार	7/ 1.	2.000	12000	
41	बालाघाट	लांजी	परसोडी	220/1	4.900	44100	
42	बालाघाट	लांजी	कोचेवाही	702	3.000	45000	
43	बालाघाट	लालबर्रा	साल्हे	1	1.011	6672.6	
44	बालाघाट	लालबर्रा	धपेरा	957	2.000	16000	
45	बालाघाट	लालबर्रा	कौडिया	117	4.292	25752	
46	बालाघाट	लालबर्रा	ददिया	397	4.900	31260	
47	बालाघाट	लालबर्रा	छिंदलई	24/1	4.500	54000	
48	बालाघाट	वारासिवनी	खापा	345/1	1.458	17492	
49	बालाघाट	वारासिवनी	जागपुर	75	8.565	82224	
50	बालाघाट	वारासिवनी	कौलीवाडा	735	3.500	44100	
51	बालाघाट	वारासिवनी	बासी	1	3.800	25080	
52	बालाघाट	वारासिवनी	सिवनी	442/1	4.000	26400	
53	बालाघाट	वारासिवनी	सावंगी	625	4.000	26400	
54	बालाघाट	वारासिवनी	चंदौरी	21	4.500	40500	
55	बालाघाट	वारासिवनी	दिनी	346	4.900	44100	
56	बालाघाट	वारासिवनी	गट्टापायली	434	3.800	45600	
57	बालाघाट	वारासिवनी	मेहंदीवाडा	326	4.800	53568	
58	बालाघाट	वारासिवनी	पूनी	231/1	4.900	54000	
59	बालाघाट	वारासिवनी	पूनी	231/1	4.500	54000	
60	बालाघाट	वारासिवनी	जागपुर	75	2.000	19200	
61	बालाघाट	वारासिवनी	सिंगोड़ी	650	8.396	80601.6	
62	बालाघाट	वारासिवनी	बुदबुदा	706	7.750	83700	
63	बालाघाट	वारासिवनी	सरण्डी	574	10.000	96000	
64	बालाघाट	वारासिवनी	रामपायली	1014	8.869	101106.6	
65	बालाघाट	वारासिवनी	कंटगटोला	255	12.416	148992	
					291.755	**2882852.4**	

कुल चिन्हित खदानें	**65**
कुल अनुमानित क्षेत्रफल	**291.755**
रेत खनिज का अनुमानित भण्डार	**2882852**
निविदा हेतु निर्धारित खदानें	**65**
निविदा हेतु निर्धारित मात्रा (वार्षिक)	**1500000**
प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइस) रूपये में	**375000000**
ई0एम0डी0 (प्रारंभिक आधार मूल्य X 25 प्रतिशत) राशि रू0 में	**93750000**

(https://www.mstcecommerce.com पोर्टल पर पंजीकरण एवं ठेके में भाग लेने के संबंध में दिशा-निर्देश)

Technical details regarding online electronic auction

1. **Registration Methodology:**

In order to submit online bids in the e-bidding process for Sand Mines, a Bidder needs to register itself with the e-auction website of MSTC Limited, A Government of India Enterprise.

A non refundable registration fee of INR 10,000/- plus applicable taxes (Rs. 11800.00) is to be paid online.

The DSC of the bidder shall be mapped during first login after the fee payment. Bidder will need to synchronize their Digital Signing Certificate (DSC class 3) during first login.

Bidder may contact MSTC's help desk number "07969066600" for assistance in any technical or system related issues.

2. **Downloading information of Sand block**

There are two sets of documents available for downloading from the website of e-auction platform provider.

First document that is the Notice Inviting Tender, will be available free of cost in public domain and can be downloaded without registration on e-auction platform provider's website.

The above information is being made available to all potential Bidders in order to assist them in familiarizing about the tender process and the offered Sand block(s).

Subsequent to Bidder registration process with MSTC, Tender Document of the specific Sand block shall be made available for download to the Bidder only subsequent to payment of a tender fee for that block,as mentioned in NIT document.

The Tender Document shall be sold in online mode only through website of MSTC. Bidders shall login with its user id and password. Bidder shall have the facility to make payment towards the cost of tender document through NEFT / RTGS provided under the login of the Bidder. The Bidder after login shall click on the link for e-payment and then select the event number from the drop down menu for which it intends to make the payment. The bidder should enter the appropriate amount towards cost of the paid document and select either NEFT / RTGS and click on submit. The bidder should fill an online RTGS/NEFT application form and take a printout of the same before proceeding to transfer the fund to the beneficiary account. In case the Bidder has an online banking facility, it can make this payment online as well. After transferring the fund, the bidder shall be required to communicate the UTR No and other details to MSTC through email at the following email addresses.

S No	MSTC Office Name	MSTC Office Code	Contact Person	Email	Phone No
1	Bhopal	BPL	Vijay Kala	bplopn2@mstcindia.in	8179551100

Once MSTC receives the payment in the designated account and the required information from the Bidder, it shall activate the link for downloading of the paid documents for the respective Sand Block(s).

The Bidder may note that the files containing information about the Sand blocks can be in various formats like doc, xls, ppt, pdf, jpg, jpeg, zip, rar etc. and it shall be the responsibility of the Bidder to have suitable facilities at its end to download these documents from the website of MSTC.

3. Preparation and Submission of Bid

The complete process of bid submission will be divided into 2 stages as follows:

a. Stage 1: Technical Bid Cum IPO Submission

This stage will comprise (i) online submission of the Technical Bid and the initial price offer; and (ii) offline submission of certain original documents as detailed below.

(i) Online submission of Technical Bid and initial price offer with supporting documents

This stage shall be open to all Bidders who have purchased the Tender Document(s) for the specific Sand block(s).

In this process, the Bidder, after logging in to the above stated website, will have to click on the link “click for Auction”. In the next page, the Bidder shall have to go to the link “Stage 1 Technical cum IPO Submission”. Thereafter, the bidder will have a bouquet under “My Menu” having 3 (three) sub-menus – “Bid Floor Manager”, “Upload Documents” and “Attach Documents”.

Bid Floor Manager

Once the Bidder clicks on this sub-menu and then clicks on the menu “Live Auctions” on the next page, it will display a list of block(s) for which the bidder has paid the tender document fees. On clicking on any of these block(s), the Bidder will be directed to a screen where it can fill up the technical bid template and save the data. The Bidder can edit such data as many times as it wishes.

After saving the Technical Bid, the link / button for Initial Price Offer shall get activated. The Bidder, on clicking this button, will be directed to a screen having a template where it can fill up its Initial Price Offer and click on the Final Submission button. However, the bidder couldn’t save the Initial Price Offer/click on ‘Final Submission’ without attaching an uploaded document. A warning pop-up message will be displayed by the system stating “No document has been attached against the event. Please attach the requisite documents from the list of uploaded documents, before submission of IPO”.

The bidder after entering the Initial Price offer and clicking on 'Final Submission' will be displayed the list of documents attached against the tender event. Clicking on 'OK' will proceed to save the Initial Price Offer followed by final submission. The final submission shall be digitally signed by the Bidder using its registered digital signature. Any digital signature certificate other than the registered one shall not be acceptable for bid submission by the system.

The Bidder may note that the "Initial Price Offer" button will be activated only after the Technical Bid has been saved.

Upload Documents

The Bidder shall also have to upload the supporting documents along with the Technical Bid, as required under the Tender Document. These supporting documents will need to be uploaded in pdf format only (the file size should be limited to 4 MB; in case of larger files, they may be split into multiple files with suitable nomenclature). Files in formats other than pdf shall not be accepted. For this, the bidder shall first click on the link "Upload documents" and upload the files in support of its Technical Bid. After uploading of the supporting documents, a pop-up message will be displayed by the system stating, "Please attach documents to respective events".

Attach Documents

After uploading these documents, the Bidder shall have to attach them with the specific tender for the concerned block for which it is intending to submit the Technical Bid. It may be noted by the Bidder that in case it intends to use the same supporting document for more than one block, it does not need to upload the same document every time. The supporting document, once uploaded, can be attached with Technical Bid for multiple Sand block(s), if desired.

Under attach documents link, bidder will select the tender event for which he intends to attach the document for. Once selected, he will then click on 'Attach' against the uploaded document in the list and the status of the same will change to 'Detach'. This means the document has been successfully 'attached' against the tender event.

The Bidder should note that only a file which is "attached" with a specific block(s) shall be considered during evaluation of the Technical Bid. Files which are not attached to any block(s) shall not be considered for evaluation.

The Bidder should also note that a Bid will be considered as submitted if and only if the Bidder has submitted the Initial Price Offer. Only such Bids will be opened for which Initial Price Offer has been submitted. It is further clarified that saving of Technical Bid without saving of the Initial Price Offer will be treated as non-submission of bid.

Upon successful submission of Initial Price Offer, the Bidder shall receive a bid acknowledgement from the system automatically.

The Bidders may note that the Technical Bid and the Initial Price Offer submitted online as above will be encrypted by the MSTC's own software before storage in the database. This will be done to protect the sanctity and confidentiality of the Bids before the actual opening of the same.

The Bidder has an option to edit Technical Bid and initial price offer as many times as it wishes till the final submission.

Modification / Withdrawal of Bid

If after submission of Initial Price Offer and before the scheduled closing time for Bid submission a Bidder wishes to make changes in its Bid, it can do so by clicking the "Delete Bid" option. By doing so, the entire Bid submitted by the Bidder will get deleted. A system generated email will be sent to the Bidder acknowledging the deletion. The Bidder will be able to save and submit its new Bid again. If a Bidder deletes its Bid and does not submit its new Bid in the same manner as stated above, its Bid will not come up for opening or further processing.

If after final submission of Bid and before the scheduled closing time for Bid submission a Bidder wishes to withdraw its bid, it can do so by clicking the "Withdraw Bid" option. By withdrawing a bid, a Bidder will lose the opportunity to re-submit its Bid against the same block(s).

(ii) ***<u>Offline submission of certain original documents</u>***

In case the Bidder deposits Bank Guarantee towards EMD, he/she shall submit original Bank Guarantee in sealed cover before last date and time of Bid submission as mentioned in Bid schedule at clause 2(ख) of this document.The sealed cover should clearly bear the following identification: Original Bank Guarantee towards for EMD for Group …… of Sand Mines and shall indicate the name and address of the Bidder.

The aforementioned documents shall be submitted at the following address:

MP State Mining Corporation Ltd.
Paryavas Bhawan,
2nd Floor, Block No. 1 (A)
Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh462011

Deadline for online submission of (i) Technical Bid and the initial price offer with supporting documents; and (ii) offline submission of Bank Guarantee

The Bidders shall also note that online submission of ***Technical Bid and the initial price offer*** with supporting documents and offline submission of certain original documents shall be allowed only up to time and date as per Bid Due Date specified in Tender Document. Bidders in their own interest are advised to complete the entire process well in advance to avoid any last minute hiccup / technical problems. No complaints shall be entertained in this regard at any stage.

MSTC shall ensure that the bidding process is smooth and bidders do not face any problem in bidding. However, MSTC shall not be responsible for any problem at the bidder's end like failure of electricity, loss of Internet connection, any trouble with bidder's computer etc. which may cause inconvenience or prevent the bidder from bidding in any e-auction.

(iii) Evaluation of Technical Bid

a. Evaluation of Technical Bid

Technical Bids shall be evaluated in the manner provided in the Tender Document.

b. Opening of Initial Price Offer

Initial price offer shall be opened at least 1 (one) day before the scheduled date of e-auction of the respective Sand block.

The Technically Qualified Bidders shall be ranked on the basis of the descending initial price offer submitted by them. On the basis of such ranking the Technically Qualified Bidders, holding first 50% (fifty per cent) of the ranks (with any fraction rounded off to higher integer) or the top 5 (five) Technically Qualified Bidders, whichever is higher, shall qualify as qualified bidders for participating in the second round of online electronic auction (the "Qualified Bidders"). Intimation shall be restricted only to the Qualified Bidders.

Provided that if the number of Technically Qualified Bidders is between 3 (three) and 5 (five), then all the Technically Qualified Bidders shall be considered as Qualified Bidders. In case multiple bidders have submitted same IPO then all such bidders shall be allotted the same rank and the number of qualified bidders shall be increased accordingly.

b. Stage 2: Electronic Auction – Final Price Offer

a. Intimation to Qualified Bidders

Along with the above intimation, the Bidder shall also receive information regarding applicable Floor Price for second round of e-auction of the Sand block which is the highest initial price offer received from the Technically Qualified Bidders.

It is expressly clarified that Bidders should not expect to receive the information on the second highest IPO received from the Technically Qualified Bidders as a matter of usual course.

It shall be the sole responsibility of the Bidder to regularly check the MSTC website and log in to see whether it has qualified for a certain Sand block or not. MSTC will not be responsible for non-receipt of email by the Bidder and its consequences.

b. Conduct of e-auction

E-auction is the process of inviting binding Final Price Offer(s) from Qualified Bidders through internet for the purpose of determination of the Successful Bidder. During this process, the Qualified Bidder will be able to submit its Final Price Offer as many times as it wishes against the same Sand block. The Qualified Bidder will be able to see the prevailing highest Final Price Offer against the Sand block, but the name of the highest Qualified Bidder at any point of time will not be displayed. The Qualified Bidder shall have to put its Final Price Offer over and above the displayed highest bid by a minimum increment of value equivalent to *0.25%*increment over the floor price or in multiples of the sameto become the highest Qualified -Bidder. The electronic auction process will have a scheduled start and close time which will be displayed on screen. A Qualified Bidder will be able to put its Final Price Offer after the start of bid time and till the close time of electronic auction. The current server time (IST) will also be displayed on the screen. In the event a Final Price Offer is received during the last *8 (Eight)* minutes before the scheduled close time of electronic auction, the close time of electronic auction will be automatically extended by *8 (Eight)* minutes from the last received bid time to give equal opportunity to all other Qualified Bidders. This process of auto extension will continue till no further bid is received during the period oflast*8 (Eight)* minutes.

For example, assuming that the initial scheduled close time for a particular electronic auction is 1:00 pm and a Final Price Offer is received at 12:55 pm, the scheduled close time shall be revised to 1:03 pm. Again if a Final Price Offer is received at 1:01 pm, the scheduled close time shall be revised to 1:09 pm and so on. In the event that no further Final Price Offer is received till 1:09 pm, the electronic auction will close at 1:09 pm. The revised close time will be displayed on screen and the Qualified Bidders are advised to keep refreshing its webpage to get the latest information.

The above example is only illustrative and meant for explaining the e-auction process only.

During the process of electronic auction, the Bidder shall be required to sign their bids with their respective digital signature certificate (DSC) and the use of which has been duly authorised on behalf of the Bidder and which was used at the time of registration. Any digital signature certificate other than the above shall not be acceptable for bid submission by the system. The submission of bid shall be considered valid only after it has been successfully digitally signed by the bidder within the closing time.

Digital Signature Certificate

A Bidder shall be required to possess a valid Digital Signature Certificate (DSC) of signing type to be able to submit its Bid and to participate in the electronic auction on MSTC website. For this purpose, Bidders shall be required to authorize its Authorized Signatory to procure a class III DSC of signing type from any Certifying Authority or their authorized agencies in India.

The Bidder may note that only one user id will be mapped with a given DSC for the Authorized Signatory. DSC once mapped with a particular user id of a Bidder will normally not be changed and therefore Bidders are advised to carefully select the DSC.

The Digital Signature Certificate will be used to digitally sign the Bids that the Bidder will submit online.

It will be the sole responsibility of the Bidder and its respective Authorized Signatory to maintain the secrecy of the password for the Digital Signature Certificate. The Bidder and its Authorized Signatory shall be solely responsible for any misuse of the DSC and no complain / representation in this regard shall be entertained at any stage by MSTC/State Government.

The system requirements are as follows:

System Settings

a) Operating System –Windows 8.1 and above

b) Web Browser- Preferred 'IE 11' or Edge.

c) Security Settings (Search Control Panel and select Internet Options):

I. General=> Click on Settings under "Browsing history/Delete Browsing History"=> Temporary Internet Files=>Activate "Every time I Visit the Webpage".

II. Security=>Internet option=>Custom Level=>Miscellaneous=>Enable 'Across the Domain' and Disable 'Pop up blocker'

III. Security=> Selected Trusted Sites=> Add Website http://www.mstcecommerce.com.

IV. Security=>Disable protected Mode If enabled-i.e., Remove the tick from the box mentioning "Enable Protected Mode".

V. Security =>Custom Level=>

- Active X control & plug-ins: Enable all Active-X Controls
- Scripting: Enable "Allow Status Bar Update Via Script"
- Disable "Use Pop-up Blocker"

Open Edge Browser=>Click on tools on the right hand side and select setting button from the Menu => Click on Default Browser=> Select 'Let Internet Explorer open sites in Microsoft Edge' as Always=> In the next section, i.e. 'Allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode' as Allow=> On a new Tab you have to open MSTC e-Bidding Site. After the site is opened, click on settings menu on the right side followed by clicking the button reload in Internet Explorer mode=> The page will reload and pop up will appear to open this page in Internet Explorer mode next time. This will ensure that the page auto loads in Internet Explorer mode from the next time. This pop up can also be opened by clicking on "e" button on the left side of URL

You may note that if a new page is opened in Edge, it will be required to be reloaded in Internet Explorer mode once again and added to the pop up (as shown above) so that it auto loads in Internet Explorer mode subsequently.

d) Java: JRE 8 (Windows X86 Offline file) Latest update

परिशिष्ट-3

निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑन-लाईन करार/वचन/सहमति पत्र

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... स्वामी/ साझेदार/ निदेशक/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता .... निवासी .... जिला .... जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिभागी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ में ऐसा माना गया है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित हैं, आज दिनांक ....माह.................... सन20........... को सहमति देते हैं/वचनबद्ध हैं कि:-

1. प्रतिभागी ने खदानों आदि के संबंध में ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र में अधिकथित की गई शर्तो को .... खदान की ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व पढ़ लिया है या समझ लिया है और यह स्वीकार करता हूं कि प्रतिभागी उक्त शर्त के बारे में अज्ञानता व्यक्त करने का हकदार नहीं होगा।

2. प्रतिभागी एतद्वारा सहमति व्यक्त करता है कि :-

(क) प्रतिभागी ने, ई-निविदा सह नीलामी में सम्मिलित किए जाने वाले समूह में सम्मिलित रेत खदानों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया गया है एवं समूह में सम्मिलित रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा, पहुंच मार्ग, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार समूह में शामिल सभी खदानों की उपलब्ध एवं खनन योग्य मात्रा, निगम द्वारा प्राप्त की जा रही वैधानिक स्वीकृतियों की मात्रा, खदानवार वैधानिक स्वीकृतियॉ की प्राप्तियों की स्थिति एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है। निविदा प्रक्रियाअंतिम होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई शिकायत /आपत्ति अथवा इस संबंध में न्यायालयीन वाद नही प्रस्तुत किया जावेगा। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात निर्धारित समय में शोध्यों का भुगतान करने और औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये खदान संचालन हेतु सहमत है।

(ख) प्रतिभागी द्वारा विभिन्न विधियों, दिशा-निर्देशों, रेत खनन तथा परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार आदि पर लागू समस्त नियमों, विभिन्न न्यायालयों, प्राधिकरणों एवं शासन आदि के आदेश/परिपत्र आदि के संबंध में अपना समाधान किया जा चुका है एवं वह, इन समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।

(ग) ई-निविदा सह नीलामी में भाग लेने के पूर्व, प्रतिभागी खदान समूह की प्ररक्षित कीमत की 25% राशि अग्रिम में जमा करेगा, जो अमानत राशि (ई0एम0डी0) कहलाएगी।

(घ) ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही औपचारिकताओं की पूर्ति करके खान संचालन किया जाएगा तथा विहित कालावधि में देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ड) निगम, ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम राशि को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है एवं कारण बताये बिना, उसे स्वीकार करने अथवा स्वीकार नहीं करने के लिये स्वतंत्र है। निगम द्वारा ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया किसी भी चरण में बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

3. मैंने मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 का पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं उनका पालन सावधानी पूर्वक करूंगा।

4. अनुबंध के निष्पादन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस का मेरे द्वारा वहन किया जाएगा।

5. मैं वचन देता/देती हूँ कि:-

(क) मेरी फर्म/पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी/कंपनी/सोसायटी/ .... दिवालिया नहीं है तथा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध में निर्विवाद रूप से स्थापित कोई शोध्य बकाया नहीं हैं, यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो वह मेरी अमानत राशि (ई0एम0डी0)से समायोजन योग्य होंगे।

(ख) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि मेरे पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा/हमारा ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या मेरे/हमारे द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा मेरा/हमारा स्वीकृति पत्र/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/हमारी अमानत राशि (ई0एम0डी0)/सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त की जा सकती है तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको/हमको हुई किसी भी हानि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

तारीख:
स्थान:

(............................)
निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....
मो.नं. ....
ई-मेल ....

परिशिष्ट-4
प्रतिभागी का विवरण

विषय	रिमार्क
1-(क) प्रतिभागी का नाम (यदि प्रतिभागी व्यक्ति/प्रोपरईट्री फर्म है) (ख) प्रतिभागी का नाम (यदि प्रोपराईटर फर्म नहीं है)	प्रोपरईट्री फर्म का नाम - प्रोपराईटर का नाम - ....
2- प्रतिभागी का कॉन्सटीट्यूशन	कंपनी/भागीदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी/कन्सॉरशियम/ व्यक्ति (निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र/आधार कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
3- व्यक्ति का नाम जिसके पास प्राधिकार पत्र है	प्राधिकार पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि (संलग्न करें)
4- प्रतिभागी का पैन	पैन की प्रति (संलग्न करें)
5- प्रतिभागी की जीएसटीआईएन यदि उपलब्ध हो	
6- प्रतिभागी/ लीड मेम्बर (कन्सॉरशियम हेतु) का बैंक विवरण	
क- खाताधारक का नाम	
ख- खाता क्रमांक	
ग- बैंक का नाम	
घ- शाखा का नाम	
ड़- आई.एफएससी कोड	
7- प्रतिभागी की अर्हता के संबंध में उपलब्ध कराया गया कोई अन्य दस्तावेज	
8- पत्राचार के लिये पता	
टेलीफोन नंबर	
ई-मेल	
9. ई0एम0डी0 (अमानत राशि) जमा किये जाने का विवरण	1. ऑनलाइन भुगतान - (i) राशि - अंको में .... शब्दो में .... (ii) बैंक का नाम - (iii)शाखा का नाम - (iv) IFSC Code - (v) UTR नंबर - (vi) दिनांक- 2. बैंक ग्यारंटी - (i) बैंक ग्यारंटी नं0 - (ii) राशि - अंको में .... शब्दो में .... (iii) जारी करने वालेबैंक का नाम - (iv) बैंक की शाखा -

परिशिष्ट-5

प्राधिकार पत्र का प्रारूप

{रूपये 1000/- (एक हजार रूपये) को नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पर निष्पादित कर नोटराईज्ड किया जाना है}

केवल कंपनी/साझेदारी फर्म/समिति दायित्व भागीदारी (एलएलपी)/कन्सॉरशियम/ सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी,

हम..................(नाम), पता .... (पंजीकृत कार्यालय का पता); श्री/सुश्री (नाम) .... आत्मज/आत्मजा/पत्नी .... को दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशनलिमिटेड (निगम) को .... रेत खदानों के समूह हेतु आमंत्रित ई निविदा सह नीलामी में भाग लेने, अनुबंध निष्पादित करने तक प्रस्ताव और अन्य दस्तावेज और लेखन, प्रीबिड और अन्य बैठकों में भाग लेने और निगम को सूचना/ प्रतिक्रिया देने, सभी प्रपत्रों/दस्तावेजो/आवेदनों पर हस्ताक्षर करने, निगम द्वारा आमंत्रित रेत समूहों की ई निविदा सह नीलामी में हमारा प्रतिनिधित्व करने तथा हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामस्वरूप **मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019** के अंतर्गत सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 के रूप में अनुबंधनों और वचन पत्रों पर हस्ताक्षर और निष्पादन, और ई निविदा सह नीलामी और/या हमारे प्रस्ताव के संबंध में, निगम/कलेक्टर/सरकार से निपटना आदि समस्त कार्यो के लिए; आज दिनांक से निगम एवं कलेक्टर के साथ अनुबंध में प्रवेश करने तक, हमारे नाम और हमारी तरफ से समस्त कार्यवाहियां संपादित करने के लिए एतद् द्वारा हमारे अधिकृत व्यक्ति के रूप में मनोनीत, नियुक्त और अधिकृत करते हैं।

और हम इस प्रकार पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के दौरान और किये गये सभी कार्य, कर्मो और चीजों को कानूनी रूप से किया गया है। हमारे द्वारा अधिकृत किए जाने के कारण और प्रदान किये गये प्राधिकार पत्र के प्रयोग में अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कृत्यों, कर्मों और चीजों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

साक्ष्य में हमने, ... के दिन, 2025को .... ऊपर नामित व्यक्ति को इस प्राधिकार पत्र पर निष्पादित करके अधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया।

(हस्ताक्षर)

(नाम, शीर्षक, पता)

गवाह :

1.

2.

नोट: प्राधिकार पत्र के निष्पादन के तरीका लागू योग्य, कानून व चार्टर दस्तावेजों में निर्धारित प्रक्रिया यदि कोई हो, के आधार पर होना चाहिए ।

परिशिष्ट-6

A.NET-WORTH

Company / Partnership Firm / LLP

Net worth is the aggregate value of the paid up share capital and all reserves created out of the profit and securities premium account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and misc. expenditure not written off, as per the scrutinized balance sheet as on 31/03/20** by CA, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write back of depreciation and amalgamation. .

INDIVIDUAL

In case of an individual, the net worth shall be the closing cash balance on 31/03/2023 and such amount may include amount in savings bank accounts in Scheduled Bank/Post office, free and un-encumbered fixed deposits in Scheduled Banks or Post Office, Listed Companies or Government organization or Public Sector Undertaking of a State and the Central Government(equity in unlisted companies not to be taken into account), Kisan Vikas Patra, National Saving certificate, Bonds, Shares of Listed Companies, Capital Contribution in firms, Listed Mutual Funds, Unit Linked Insurance Plan, Public Provident Fund, Surrender Value of Life Insurance policies, and un-encumbered immovable property in the name of Applicant.

In case of an individual, the valuation of un-encumbered immovable property shall be based on guideline value published by the relevant government authority.

B.TURNOVER

"Turnover" means the aggregate value of the realization of the amount made from the sale, supply or distribution of goods or on account of services rendered, or both, by the company during a financial year.

UDIN ....

FORMAT OF NET WORTH AND TURNOVER CERTIFICATE

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

1. This is to certify that the Turnover of M/s .... is as under :-

Financial Year	**Turnover (Rupees Crores)**
Average	

Note:-उपरोक्त तालिका मेंविगत पांच वर्षो में सेप्रतिभागी द्वारा चयनित किन्ही तीन वित्तीय वर्षोकी औसत टर्नओवरदर्शाया जावे।

(टर्नओवर की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22,2022-23एवं 2023-24 को आधार माना जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष 2023-24के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में 2018-19, 2019-20, 2020-21,2021-22 एवं 2022-23को आधार माना जायेगा।)

2. This is to further certify that Net worth is as under:-

As at	Net worthRs.
31.03.2023/ 31.03.2024	

Note:-यदि वित्तीय वर्ष 2023-24के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति मेंदिनांक 31.03.2023की स्थिति में net worth.

This is further certified that the computation of turnover and net worth, based on our scrutiny of accounts, records and documents, is true and correct to the best of our knowledge and as per information provided to our satisfaction.

For ....

Chartered Accountants

FRN ....

Partner/Proprietor

Place:

Date :

परिशिष्ट-8

(ई0एम0डी0 हेतु बैंक गारंटी का प्रारूप)

FORMAT OF BANK GUARANTEE FOR EMD

(To be stamped in accordance with the Stamp Act)

Bank Guarantee No...............................

Date ....

To,
MANAGING DIRECTOR,
THE MADHYA PRADESH STATE MINING
CORPORATION LTD., PARYAWAS BHAWAN,
BLOCK 1A, FLOOR-2,
JAIL ROAD, ARERA HILLS, BHOPAL (M.P.) 462011

Dear Sirs,

In accordance with the Invitation for MDO proposal under the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019, M/s .... having its registered office at .... and principal place of business at .... (hereinafter called the "Bidder") wish to participate in the said bidding for Development and Operation of sand mines included in group ....

As an irrevocable bank guarantee against Earnest Money Deposit for an amount 25% of Reserve Price valid for One Hundred and Eighty (180) days from ....(*) .... is required to be submitted by the Bidder as a condition precedent for participation in the said bidding which amount is liable to be forfeited on the happening of any contingencies mentioned in the e-tender cum auction document.

We, the ....(Name & address of the Bank) having our Head Office at ....(#) .... guarantee and undertake to pay immediately on demand by The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. (MPSMCL) (hereinafter called the "Owner") the amount of INR (...... 25% of Reserve Price.....) without any reservation, protest, demand and recourse. Any such demand made by the "Owner" shall be conclusive and binding on us irrespective of any dispute of difference raised by the Bidder.

The guarantee shall be irrevocable and shall remain valid up to .... If any further extension of this guarantee is required, the same shall be extended to such required period (not exceeding on year) on receiving instructions from M/s .... (Bidder's Name) on whose behalf this guarantee is issued.

Dated this .... day of ....2025 at ....

Signature ....
(Name) ....
....
(Designation with Bank Stamp)
Authorized vide Power of Attorney
No ....
Dated ....

NOTE:

1. The bank guarantee should contain the name, designation and code number of the officer(s) signing the guarantee.
2. The address, telephone number and other details of the head office of the Bank as well as that of issuing branch should be mentioned on the covering letter of the issuing bank.
3. The bank guarantee issued in favour of Corporation shall be in paper form as well as issuedunder Structured Financial Messaging System (SFMS). Although original copy of the same should be furnished at the Corporation's Registered office by the last date and time of submission of bid.The details of beneficiary are as under:

Name of beneficiary and details	Name	**THE MADHYA PRADESH STATE MINING CORORATION LTD.**
	Address	**Bhopal**
	Bank A/c no. beneficiary	**SB- 2073101022015**
	Customer ID/CIF no. of beneficiary	**63842116**
Beneficiary's Bank, Branch and Address	Beneficiary's Bank	**CANARA BANK**
	Branch and Address	**MAHARNA PRATAP NAGAR BRANCH, BHOPAL- 462001**
	SFMS Code/ IFSC Code	**CNRB0002073**

(*) This shall be the date of bid submission.

(#) Complete mailing address of the Head office of the Bank to be given

(@) The value of Earnest Money Deposit shall be as per clause 5(क) of the e-tender cum auction document.

परिशिष्ट-9

ई-निविदा सह नीलामी में सम्मिलित खदानों के समूह का ब्यौरा

समूह का नाम/क्रमांक- बालाघाट

जिला-बालाघाट

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 04.02.2025 **समय- अपरान्ह 05:00 बजे**

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (है. में)	माईनिंग प्लान की स्वीकृत/आवेदित मात्रा (घनमीटर में)	वैधानिक स्वीकृति की अद्यतन जानकारी		
							माईनिंग प्लान अनुमोदित दिनांक	पर्यावरण स्वीकृति आवेदित दिनांक	जल-वायु सम्मति अनुमोदित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालाघाट	कटंगी	बाहकल	01 भाग , 231 भाग	3.239	13603.8	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
2	बालाघाट	कटंगी	कलगांव	185	2.500	16500	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
3	बालाघाट	कटंगी	जरामोहगांव	457	4.300	64500	21-Apr-23	14-Jul-23	
4	बालाघाट	किरनापुर	पानगांव	547	3.000	30600	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
5	बालाघाट	किरनापुर	केशा	164	4.500	40500	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
6	बालाघाट	किरनापुर	बिनोरा	01&46भाग	6.318	56862	21-Apr-23		
7	बालाघाट	किरनापुर	कडकना	245	7.229	65061	21-Apr-23		
8	बालाघाट	किरनापुर	सेवती	258	8.788	84364	21-Apr-23		
9	बालाघाट	किरनापुर	मुण्डेसर्रा	529/1	15.430	101838	24-Apr-23		
10	बालाघाट	खैरलांजी	चिचोली	387	1.458	12247.2	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
11	बालाघाट	खैरलांजी	टुय्यापार	583	1.012	15180	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
12	बालाघाट	खैरलांजी	घोटी	1/1.	2.900	19140	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
13	बालाघाट	खैरलांजी	लावनी	473	1.822	22957.2	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
14	बालाघाट	खैरलांजी	चुटिया	251	4.500	27000	01-May-23		
15	बालाघाट	खैरलांजी	गंजपुर	208	4.900	29400	24-Apr-23	14-Jul-23	
16	बालाघाट	खैरलांजी	गुनई	12	4.500	32400	25-Apr-23		
17	बालाघाट	खैरलांजी	अंतरी	455	4.000	36000	21-Apr-23	14-Jul-23	
18	बालाघाट	खैरलांजी	बकोडी	1	4.500	40500	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
19	बालाघाट	खैरलांजी	टेमनी	332/1	4.500	43200	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
20	बालाघाट	खैरलांजी	चिचगाव	5	4.806	43254	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
21	बालाघाट	खैरलांजी	भोरगढ	457/1	4.950	44550	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
22	बालाघाट	खैरलांजी	चिचोली	463	4.990	59880	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
23	बालाघाट	खैरलांजी	खैरी	854	4.000	60000	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
24	बालाघाट	खैरलांजी	मोवाड	209/1	4.202	63030	24-Apr-23	17-Jul-23	
25	बालाघाट	खैरलांजी	सावरी	795	4.920	73800	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
26	बालाघाट	तिरोडी	हरदोली	456	4.480	40320	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
27	बालाघाट	तिरोडी	बम्हनी	418/1/1	3.402	51030	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
28	बालाघाट	तिरोडी	बोनकट्टा	443/1, 443/2	4.750	54150	24-Apr-23	14-Oct-23	
29	बालाघाट	तिरोडी	कोडबी	285	4.960	74400	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
30	बालाघाट	बालाघाट	ठाकुरटोला	125	1.000	7200	21-Apr-23	09-Aug-23	
31	बालाघाट	बालाघाट	भालेवाडा	207 भाग	1.944	11664	21-Apr-23	14-Jul-23	
32	बालाघाट	बालाघाट	मगरदर्रा	01 भाग	1.000	16800	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
33	बालाघाट	बालाघाट	कुकडा	258 भाग	2.000	18000	21-Apr-23	09-Aug-23	
34	बालाघाट	बालाघाट	बरखों	22	3.150	18900	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
35	बालाघाट	बालाघाट	भमोड़ी	1/1.	1.328	22310.4	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
36	बालाघाट	बालाघाट	बरखेडा	45	3.220	28980	25-Apr-23	03-Aug-23	
37	बालाघाट	बालाघाट	रोशना	1	4.500	29700	21-Apr-23	03-Aug-23	
38	बालाघाट	बालाघाट	धापेवाडा	144	3.000	30182	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
39	बालाघाट	बालाघाट	भटेरा	14 /1	7.000	105000	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
40	बालाघाट	बैहर	लहंगाकन्हार	7/ 1.	2.000	12000	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
41	बालाघाट	लांजी	परसोडी	220/1	4.900	44100	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
42	बालाघाट	लांजी	कोचेवाही	702	3.000	45000	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
43	बालाघाट	लालबर्रा	साल्हे	1	1.011	6672.6	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
44	बालाघाट	लालबर्रा	धपेरा	957	2.000	16000	24-Apr-23	14-Jul-23	
45	बालाघाट	लालबर्रा	कौडिया	117	4.292	25752	25-Apr-23	03-Aug-23	

46	बालाघाट	लालबर्रा	ददिया	397	4.900	31260	24-Apr-23	14-Jul-23	
47	बालाघाट	लालबर्रा	छिंदलई	24/1	4.500	54000	24-Apr-23	14-Jul-23	
48	बालाघाट	वारासिवनी	खापा	345/1	1.458	17492	21-Apr-23	14-Jul-23	
49	बालाघाट	वारासिवनी	जागपुर	75	8.565	82224	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
50	बालाघाट	वारासिवनी	कौलीवाडा	735	3.500	44100	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
51	बालाघाट	वारासिवनी	बासी	1	3.800	25080	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
52	बालाघाट	वारासिवनी	सिवनी	442/1	4.000	26400	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
53	बालाघाट	वारासिवनी	सावंगी	625	4.000	26400	21-Apr-23		
54	बालाघाट	वारासिवनी	चंदौरी	21	4.500	40500	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
55	बालाघाट	वारासिवनी	दिनी	346	4.900	44100	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
56	बालाघाट	वारासिवनी	गट्टापायली	434	3.800	45600	27-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
57	बालाघाट	वारासिवनी	मेहंदीवाडा	326	4.800	53568	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
58	बालाघाट	वारासिवनी	पूनी	231/1	4.900	54000	27-Apr-23		
59	बालाघाट	वारासिवनी	पूनी	231/1	4.500	54000	27-Apr-23		
60	बालाघाट	वारासिवनी	जागपुर	75	2.000	19200	24-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
61	बालाघाट	वारासिवनी	सिंगोड़ी	650	8.396	80601.6	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
62	बालाघाट	वारासिवनी	बुदबुदा	706	7.750	83700	21-Apr-23		
63	बालाघाट	वारासिवनी	सरंण्डी	574	10.000	96000	21-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
64	बालाघाट	वारासिवनी	रामपायली	1014	8.869	101106.6	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
65	बालाघाट	वारासिवनी	कंटगटोला	255	12.416	148992	25-Apr-23	EC Granted	CTO Granted
					291.755	**2882852.4**			

CONSORTIUM OPERATING AGREEMENT

(To be notarized on non – judicial stamp paper of appropriate value)

This Consortium Operating Agreement ("**CONSORTIUM OPERATING AGREEMENT**") is made at [_____________] executed on this [_____________]day of [_____________], 2025 among:

1. [___]**Individual/ company / partnership firm** having its office/ principal place of business at [_________________________] (hereinafter referred to as the "**Lead Partner**" which expression shall include its successors, executors and permitted assigns);
2. [__________________**Individual/ company / partnership firm / LLP**___________],having its office/ principal place of business at [_________________________] (hereinafter referred to as "**Partner**" which expression shall include its successors, executors and permitted assigns).

(The Lead Partner and Partner are hereinafter referred to individually as "**Party**" and collectively as "**Parties**" or "**Bidder**".**)**

WHEREAS

(A) [...........................**Individual/ company / partnership firm**],having its office/ principal place of business at [_________________________]intends] to appoint an Agency for Raising cum sale of sand and has issued a notice inviting tender dated _________ bearing number ___________in this regard ("**Notice Inviting Tender**").

(B) The Bidder proposes to submit its Bid pursuant to the Notice Inviting Tender and has, in this regard, prepared its Bid under Consortium Route.

(C) One of the conditions of the Bid Document is that the Bidder, submitting its Bid under Consortium Route is required to enter into a Consortium Operating Agreement.

(D) The Parties therefore propose to enter into this Consortium Operating Agreement in relation to the Bid proposed to be submitted.

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH AS UNDER:

1. CONSORTIUM

(a) The Parties hereby form a consortium for the purposes of the Bid and the consortium shall be named as [____________________________][1]
(Hereinafter referred to as the "**Bidder**" or "**Bidding Consortium**").

(b) The Bidder's principal place of business shall be [________________________________].

(c) The Partners hereby nominate [__________________] as the '**Lead Partner'**.

(d) The following shall be the stake of the different Partners in the Bidding Consortium:-

Particulars	Name of entity	% shareholding
Lead Partner		
Other Partner		

2. UNDERTAKINGS

The Parties hereby irrevocably and unconditionally acknowledge, confirm and undertake that:

(a) the Parties shall be jointly and severally liable for all actions taken by the Bidder or any other person on its behalf, in relation to the Bid, the bidding process and the Bid Document.

(b) for evaluating the financial qualification of the consortium, turnoverand net worth of both the consortium members in combined manner shall be considered. However, both the consortium members should have positive net worth.

(c) In the event the Bidder (i.e., the Bidding Consortium) is declared to be the Successful Bidder, both the partners of consortium shall form a special purpose vehicle (SPV) which should be a company registered under the Companies Act, 2013 / partnership firm registered under "The Indian Partnership Act" to execute the contract. In the SPV, one of the partners shall be a lead partner, who shall hold minimum 51% shares /share of interest and the other partner shall hold minimum 26% shares/share of interest. The said share holding/share of interest pattern in the SPV shall continue during the contract period. Each of the Parties shall be bound by the terms contained therein, as if it were individually selected as the Agency.

[1] Insert name of the consortium

(d) in the event the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) is declared to be the Successful Bidder as per the Bid Document, the Parties shall ensure that the SPV duly performs all of its obligations as set out in the Agreement;

(e) in the event the Bidder (i.e., the Bidding Consortium) is declared to be the Successful Bidder as per the Bid Document, each of the Parties shall provide unconditional and irrevocable technical and financial support and assistance to the SPV in relation to the performance of all obligations by it under the RFP and Agreement;

(f) change in the management and control of the Parties, shall be made with prior written intimation to MPSMC;

(g) the composition and stake of the Parties in the Bidding Consortium shall be as declared in the Consortium Operating Agreement; and in the event the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) is declared to be the Successful Bidder as per the Bid Document, each Partner Company of the Consortium shall, throughout the contract period as mentioned in the Agreement, hold the equity share capital in the SPV.

(h) each of the Parties confirms that in the event the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) is successful in its Bid, the Parties shall deposit "Security Deposit" for the amount as stipulated in the bid document;

(i) the Parties shall provide the SPV with the necessary managerial, financial and technical expertise to ensure due performance of the obligations of the SPV under the Agreement;

(j) in the event of any default by the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) in performing, meeting or otherwise complying with any of its obligations in accordance with the terms of the Bid Document, MPSMC may at any time as it deems fit and/or appropriate in its sole discretion, without giving any opportunity of recourse to the Bidder, require the Parties to hold MPSMC harmless from and against any and all damages, losses, liabilities, obligations, claims of any kind, interest, cost, fee, or expenses (including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses) suffered, incurred or paid by MPSMC, as a result of, in connection with or arising out of such default;

(k) in the event of any default by the SPV in performing, meeting or otherwise complying with any of its obligations in accordance with the terms of the Mine Development and Operation Agreement, MPSMC may at any time as it deems fit and/or appropriate in its sole discretion, without giving any opportunity of recourse to the SPV, require the Parties to hold MPSMC harmless from and against any and all damages, losses, liabilities, obligations, claims of any kind, interest, cost, fee, or expenses (including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses) suffered, incurred or paid by MPSMC, as a result of, in connection with or arising out of such default;

(l) neither the obligations of the Parties, nor the rights of MPSMC hereunder or under the Bid Document or the Agreement shall stand revoked, or otherwise be impaired or mitigated in any manner whatsoever, if there exists at any time any dispute before any court (whether in India or abroad), arbitration, claims, settlements, obligations, expert determination or similar proceedings under the Agreement between the Bidder and MPSMC including in case of any dispute between the Parties;

(m) the obligations of the Parties under this Consortium Operating Agreement shall be irrevocable, absolute and unconditional, irrespective of the value, genuineness validity, regularity or enforceability of the services of the Agreement, or the insolvency, bankruptcy, reorganisation, dissolution, winding-up or liquidation of the Bidder/ Mine Developer and Operator or any change in the ownership of the Bidder/ Mine Developer and Operator, or any purported assignment by the Bidder/ Mine Developer and Operator or any other circumstances whatsoever which might otherwise constitute a defence or discharge of a guarantor or surety;

(n) the obligations of the Parties shall not be affected by any failure by MPSMC to pay or perform any of its obligations under the Bid Document or Agreement;

(o) the Parties shall refrain from taking any actions that contravene with their obligations of the Bidder under the Consortium Operating Agreement, Bid Document or the Agreement or with the obligations of the SPV under the Agreement; and

(p) It is agreed by the Parties that the sharing of responsibility and obligations shall not in any way be a limitation of joint and several responsibilities of the partners under the contract.

3. REPRESENTATIONS

Each representation and warranty made by the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) in the Bid and by the SPV in the Agreement is deemed to be incorporated herein as if such representation and warranty has been made by the Parties under this Consortium Operating Agreement and each of the Parties individually further represents and warrants in respect of itself that:

(a) it is an entity duly organised and existing in accordance with the laws of [__________________________][2] and it has the power and authority to own its assets and to enter into and perform its obligations under this Consortium Operating Agreement and to transact the business in which it is engaged and to consummate the transactions contemplated by the Bid, Agreement and this Consortium Operating Agreement;

(b) it has the corporate power to execute, deliver and perform the terms and provisions of this Consortium Operating Agreement and has taken all the necessary corporate action to authorise execution, delivery and performance by it of this Consortium Operating Agreement, the Bid and Agreement;

(c) this Consortium Operating Agreement has been duly executed and delivered by it and is legal, valid, binding and enforceable against it in accordance with its terms without any further action being required on the part of the Bidding Consortium;

(d) the execution, delivery and performance by it of this Consortium Operating Agreement will not violate or conflict with:

1) its constitutional documents, any applicable law to which it is subject;

2) Any order, writ, injunction or decree of any court or government authority binding on it or its assets; or

3) any existing contract which is binding on it;

(e) neither it nor its assets are entitled to immunity from execution, attachment or other legal process. The execution of this Consortium Operating Agreement and the performance of its respective obligations hereunder will

[2] Insert details of relevant jurisdiction of incorporation

constitute private and commercial acts done and performed for private and commercial purposes; and

(f) all information provided by it in connection with the transaction contemplated under the Bid, is true, correct and complete in all respects as of the date provided (or such other date as is specifically referred).

4. WAIVER OF DEFENCES

The obligations of the Parties under this Consortium Operating Agreement will not be affected by any act, omission, matter or thing (including whether or not known to the Parties) which would reduce, release or prejudice any of its obligations under this Consortium Operating Agreement or prejudice or diminish those obligations in whole or in part including:

(a) any time or waiver granted to, or composition with, another person;

(b) the taking, variation, compromise, exchange, renewal or release of, or refusal or neglect to perfect, take up or enforce, any rights against, or security over assets of, another person or any non-presentation or non-observance of any formality or other requirement in respect of any instrument or any failure to realise the full value of any security;

(c) any incapacity or lack of powers, authority or legal personality of or dissolution or change in the constitution or status of another person;

(d) any variation of the Bid Document, Bid, Agreement or any other related document;

(e) the winding-up, dissolution, official management or re-organisation of any other person or any change in its status, function, control or ownership;

(f) any unenforceability, illegality or invalidity of any obligation of any person due to any other document, to the extent that the Parties' under this Consortium Operating Agreement shall remain in full force and its obligations be construed accordingly, as if there were no unenforceability, illegality or invalidity; or

(g) any other act or thing whatsoever.

5. MISCELLANEOUS

(a) Severability

Any provision of this Consortium Operating Agreement which is prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of prohibition or unenforceability but that shall not invalidate the remaining provisions of this Consortium Operating Agreement or affect such provision in any other jurisdiction.

(b) Event of Default

The Parties acknowledge that upon any failure to comply with the covenants set forth herein MPSMC may inter alia disqualify the Bid or treat such failure to be a breach under the Agreement.

(c) Notices

All notices and other communication issued to the Lead Partner Company or the SPV shall be deemed to be issued to the Parties simultaneously.

(d) Governing Law and Jurisdiction

This Consortium Operating Agreement is governed by and shall be construed and interpreted in accordance with the laws of India. The Courts atBhopal shall have exclusive jurisdiction over all disputes arising under, pursuant to and/ or in connection with this Consortium Operating Agreement.

(e) Benefit of this Consortium Operating Agreement

The Parties hereby acknowledge and agree that the Bidding Consortium has been established for the sole purpose of submitting a Bid as per the Bid Document and that this Consortium Operating Agreement has been executed for the sole benefit of MPSMC and for the specific purpose of ensuring that MPSMC receives the benefits of the Bidder's and SPV services under and in accordance with the Agreement. Accordingly, MPSMC shall, notwithstanding anything contained herein, at all times have the right to specifically enforce the performance by the Parties of their obligations pursuant to this Consortium Operating Agreement and the Parties hereby irrevocably and unconditionally waive any defence, rights or protection that they may have in law, contract or otherwise in this regard.

(f) Assignment

The Parties shall not assign or delegate their rights, duties or obligations under this Consortium Operating Agreement or under the Agreement in any manner whatsoever, except with prior written consent of MPSMC.

(g) Amendments

The terms and conditions of this Consortium Operating Agreement shall not be amended or modified, except with prior written consent of MPSMC.

(h) Authorised Signatory

The Parties jointly authorise [______________________________] to be our authorised signatory ("**Authorised Signatory**") to undertake all acts, deeds and things as is necessary in relation to the Bid, Bid Process and performance of the Agreement. The Authorised Signatory and the Bidder shall be Authorised to incur liabilities and receive instructions for and on behalf of any and all Parties, till the SPV is incorporated.

6. TERMINATION

The obligations of the Parties under this Consortium Operating Agreement shall continue till the bidding process completion date and in case the Bidder is declared to be a Successful Bidder, then till the termination of the Agreement or till completion of all obligations related to the Agreement, whichever is later. Also the COA shall be deemed to be in force incase of any obligation related to the Agreement arising in the future, i. e. even after completion of Term /Period of Agreement..

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have, through their authorised representatives, executed these presents and affixed the seals of their respective companies on the day, month and year first mentioned above.

On behalf of the Lead Partner Company

Name:

Designation:

Seal of Consortium Partner

Witness-1

Witness-2

On behalf of Partner Company

Name:

Designation:

Seal of Consortium Partner(2)

Witness-1

Witness-2

सफल प्रतिभागी के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप

रेत खदानों से रेत खनन एवं विक्रय हेतु अनुबंध

यह अनुबंध, एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित की ओर से नामित प्रतिनिधि ....(जिसे इसमें इसके पश्चात " निगम" कहा गया है) एवं जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और द्वितीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह की अवस्थिति के जिला .... के कलेक्टर की ओर से नामित प्रतिनिधि .... (जिसे इसमें इसके पश्चात कलेक्टर कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और तृतीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह .... हेतु नियुक्त माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) मेसर्स/श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... तहसील जिला .... के अधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो तो) श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... तहसील .... जिला ....(जिसे इसमें इसके पश्चात " माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0ओ0)" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक .... माह .... सन दो हजार .... को अवधि .... से .... हेतु रेत खदानों के समूह में सम्मिलित रेत खदानों से रेत के खनन एवं विक्रय हेतु के लिए किया गया है।

यत: निगम ने माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) को उपरदर्शित रेत खदानों के समूह का ठेका स्वीकृत किया है। समूह में सम्मिलित रेत खदानों का सांकेतिक विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है ।

1- **<u>परिभाषा -</u>**

(1) इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67)

(ख) **"निगम"**से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित अथवा दि म0प्र0 स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.;

(ग) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप;

(घ) **"सरकार"**से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ड) **"ग्राम पंचायत"**, **"जनपद पंचायत"**, **"जिला पंचायत"**और **"ग्राम सभा"**के क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है;

(च) **"रेत खनिज"**से अभिप्रेत है, साधारण रेत, बजरी जैसा कि खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ड.) में परिभाषित किया गया है;

(छ) **"नगरपालिका"**के वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है;

(ज) **"भण्डारण अनुज्ञप्ति"**से अभिप्रेत है, रेत खनिज के भण्डारण एवं व्यापार हेतु इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति;

(झ) **"भण्डारण स्थल"** से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान, जहां व्यवसायिक प्रयोजन हेतु रेत खनिज का भण्डारण किया जाता है;

(ञ) **"नगरीय निकाय"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषद;

(ट) **माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर (एम.डी.ओ.)**:- निगम द्वारा नियम 8 में विहितप्रक्रिया अनुसार चयनित माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर, जो कि उसे आवंटितसमूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

(ठ) **"लेखा वर्ष"** से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है।

(ड) **"अनुबंध"** से तात्पर्य इस अनुबंध तथा इसकी ई-निविदा सह नीलामी की आमंत्रण सूचना, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, उसमें संलग्न परिशिष्ट तथा दस्तावेज से है।

(ढ) **"नियम"** से तात्पर्य म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 से है।

(ध) **"अनुबंध की अवधि"** नियम 9 में यथा विहित । अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

(न) **"लागू अधिनियम"** से तात्पर्य वे कानून हैं जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हों। इन कानूनों में इनके अंतर्गत

बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय, डिक्री, ब्योदेश, रिट, आदेश, जो कि इस अनुबंध से संबंधित हैं, भी सम्मिलित हैं।

(प) **"वैधानिक स्वीकृतियाँ"** से तात्पर्य उन सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों, अनुज्ञा-पत्रों, प्राधिकार, सहमति तथा अनुमोदनों से है, जिनकी आवश्यकता प्रचलित कानूनों केअंतर्गत रेत खदानों के संचालन तथा इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए हो।

(फ) **"व्यवसायिक सदप्रथाएँ"** से तात्पर्य उन प्रथाओं, पद्धतियों, तकनीकों, मानकों दक्षता, अध्यवसाय, बुद्धमत्ता से है जिसकी अपेक्षा सामान्यतया अंतराष्ट्रीय स्तर पर युक्तियुक्त तथा दक्ष एवं अनुभवी ऐसे ही कार्य में लगी एजेंसी, जैसी कि इस अनुबंध में प्रावधानित है।

(ब) **"पक्षो"** से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले तीनों पक्षों से है। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से है।

(भ) **"निगम के प्रतिनिधि"** तात्पर्य निगम के प्रबंध संचालक दि म0प्र0स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि0 भोपाल या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि प्रबंध संचालकअथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में इस अनुबंध के अंतर्गत किया जाता है।

(म) **"प्रबंध संचालक"**से तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक से है।

उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है एवं प्रदेश में विभिन्न खनिजों के उत्खनन एवं वाणिज्य में संलग्न हैं। निगम को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियॉ यथा माईनिंग प्लान का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त करने का दायित्व दिया गया है एवं उक्त खदानों का निवर्तन, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 (रेत नियम, 2019) के प्रावधानों के अंतर्गत किए जाने का कार्य दिया गया है।

निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है। निगम द्वारा इन रेत खदानों से उत्खनन एवं विक्रय का कार्य, नियम8 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) से कराया जावेगा।

उक्त दायित्व की पूर्ति हेतु निगम द्वारा ई निविदा सह नीलामी के माध्यम से एम0डी0ओ0 का चयन किया गया है। उक्त निविदा में रेत खदानों के समूह .... हेतु उच्चतम बोली रूपए .... प्रस्तुत

करने वाले प्रतिभागी मेसर्स .... को उच्चतम प्रतिभागी घोषित किया गया। मेसर्स .... को पत्र क्रमांक .... दिनांक .... के माध्यम से सूचना पत्र जारी किया गया एवं वांछित सुरक्षा राशि तथा वचनबंध प्रस्तुत करने पर, शासन के अनुमोदन उपरांत आज .... को उपरोक्त अनुसार रेत खदानों के समूह .... हेतु अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

2- कार्य का स्वरूप- इस अनुबंध का मूल तत्व, वार्षिक ठेका राशि के भुगतान पर निश्चित समयावधि हेतु समूह में सम्मिलित एवं निगम को खनिपट्टा पर आवंटित रेत खदानों से, रेत का उत्खनन एवं विक्रय का अधिकार दिया जाना है। ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र में दी गई खदानों की सूची, सूची में दर्शित खदानों का क्षेत्रफल एवं मात्रा आदि सांकेतिक मात्र है।

इस अनुबंध के अनुसरण में एम0डी0ओ0 को समूह की खदानों का तारीख .... से तारीख .... तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा। एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि ठेके पर दिए गए क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

एमडीओ द्वारा समूह में सम्मिलित खदानों की तत्सयम उपलब्ध वैधानिक अनुमतियों की सीमा तक उत्खनन किया जा सकेगा। यह मात्रा ठेका राशि के विरूद्ध उपलब्ध कराई गई रेत की मात्रा के अधीन होगी। एमडीओ, नियम के प्रावधानों के अधीन उक्त मात्रा का विक्रय एवं परिवहन करने हेतु स्वतंत्र होगा। अनुबंध के वर्ष की समाप्ति पर तत्समय शेष रेत की मात्रा सामान्यत: व्यपगत/ लैप्स हो जावेगी।

इस प्रकार रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार किए जाने पर लागू समस्त नियमों, खनिपट्टा तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में त्रुटि एवं नियमों के उल्लघंन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगा तथा शासन/निगम उक्त नियमों उक्त के उल्लघंन की जवाबदेही से पूर्ण रूप से विमुक्त होगा। इस अनुबंध के माध्यम से एमडीओ द्वारा यह बिना शर्त यह सहमति दी जाती है की वह समस्त प्रकार के उल्लघंनों पर लागू आपराधिक उत्तरदायित्व को स्वयं ग्रहण करेगा। किसी भी न्यायालय प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी द्वारा यदि खनन पट्टा धारक (निगम) के विरूद्ध कोई पैनाल्टी अथवा जुर्माना आदि लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति एम0डी0ओ0 द्वारा की जावेगी। यदि एम0डी0ओ0 के विरूद्ध पैनाल्टी अथवा जुर्माना लगाया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी को वह, उसका भुगतान करेगा।

3- **निविदा में सम्मिलित रेत समूह की अवधि** - समूह की खदानों की ठेका अवधि 03 वर्ष होगी। जिसमें अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध दिनांक से की जाएगी।

अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

4- **सुरक्षा राशि-** उच्चतम प्राप्त नीलामी राशि का 25% सुरक्षा राशि के रूप में देय होगा। यह सुरक्षा राशि अनिवार्यत:, पूर्व में ऑन-लाईन नगद जमा ई.एम.डी. राशि के समायोजन उपरांत, निगम द्वारा संधारित खाते (निविदा सूचना में यथादर्शित) में जमा की जावेगी।

यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी., बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गई हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी वापस की जावेगी।

प्रथम माह की किश्त अग्रिम में देय होगी।

उक्त सुरक्षा राशि ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समपहत किए जाने योग्य होगी;

5- **ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतान-** यह कि एम0डी0ओ0 ई-निविदा सह नीलामी की शर्तों के अनुसार निम्नानुसार राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है -

(क) ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम मूल्य की राशि, जिसके क्रम में प्रतिभागी का आशय पत्र दिनांक .... जारी किया गया, वार्षिक ठेका राशि होगी एवं ठेके के प्रथम वर्ष में वार्षिक ठेका राशि ही देय होगी। ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं नियम 9 अनुसार विस्तारित अवधि में वार्षिक ठेका राशि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

उदाहरणार्थ -

समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य - रूपए 18.00 करोड़

उच्चतम मूल्य की राशि (वार्षिक ठेका राशि)- रूपए 21.00 करोड

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष में देय राशि (रूपए)	द्वितीय वर्ष में देय राशि (रूपए)	तृतीय वर्ष देय राशि (रूपए)	चतुर्थ वर्ष देय राशि (रूपए)	पंचम वर्ष देय राशि (रूपए)
1.	वृद्धि का प्रतिशत	-	10%	10%	10%	10%
2.	वृद्धि राशि	-	2.10 करोड	2.10 करोड	2.10 करोड	2.10 करोड
3.	कुल देय राशि	21 करोड	23.10 करोड	25.20 करोड	27.30 करोड	29.40 करोड

(ख) वार्षिक ठेका राशि मासिक किश्तों में माह के प्रथम दिवस को अग्रिम में देय होगी। यदि माह का प्रथम दिवस शासकीय अवकाश हो तो मासिक किश्त इसके अगले दिन जमा करायी जाएगी। प्रथम किश्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देयहोगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जायेगी। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में वार्षिक ठेका राशि के क्रमशः चार, तीन एवं तीन प्रतिशत एवं शेष राशि अन्य 9 माहों में समान किश्तों में देय होगी। ठेका अवधि के प्रथम एवं अंतिम माह में किश्त की गणना समानुपातिक रूप से की जाएगी।

(ग) मासिक किश्त की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर समूह की खदानों की ई.टी.पी. (स्टॉक सहित) चालू की जा सकेगी। किन्तु माह के अंत तक मासिक किश्त की सम्पूर्ण राशि, मय ब्याज के जमा करनी होगी अन्यथा ई0टी0पी0 (स्टॉक सहित) पर रोक लगा दी जावेगी। जमा राशि की समानुपातिक रेत की मात्रा एम0डी0ओ0 को निवर्तन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी।

(घ) यदि किसी माह में निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिए देय राशि, उस माह हेतु संदत्त किश्त राशि से अधिक है तो, अतिरिक्त राशि, ठेका किश्त के अतिरिक्त पृथक से अग्रिम में संदेय होगी। उक्त राशि अतिरिक्त उठाव की गई रेत की मात्रा एवं समूह की स्वीकृत ठेका राशि एवं निविदत्त मात्रा के आधार पर निकाली गई प्रति घनमीटर राशि का गुणनफल होगा। उक्त राशि न चुकाये जाने की स्थिति में निगम/कलेक्टर खनिज परिवहन हेतु अपेक्षित अभिवहन पारपत्र जारी किया जाना रोक देगा। इस प्रकार जमा अतिरिक्त राशि एवं उठाई गई/उठाई जाने वाली मात्रा, वार्षिक ठेका राशि एवं मात्रा अनुसार समायोजन योग्य होगी।

(ड) ठेका राशि के अतिरिक्त समस्त अन्य कर, शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे ।

यह राशि म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 10 के अनुसार जो रकम एतदद्वारा ठेका राशि कहलाएगी।

(च) एम0डी0ओ0 द्वारा ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम निगम के रेत पोर्टल https://mining.mp.gov.in के माध्यम से ऑन-लाईन जमा की जावेगी।

(छ) यदि एम0डी0ओ0 नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण की ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा एम0डी0ओ0 को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए :

उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 18 प्रतिशत वार्षिक अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित दर से ब्याज सहित, देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, निगम खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, उपरोक्तानुसार यदि मासिक किश्त की देयता की तारीख के एक माह के भीतर एम0डी0ओ0 राशि जमा करने में असफल रहता है तो, निगम द्वारा ठेका निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त नहीं होती तब तक एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी। तथापि शासन, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0एवंनिगम द्वारा अन्य वैधानिक अथवा व्यवसायिक कारणों से भी खदानों तथा एम0डी0ओ0 को आवंटित रेत भण्डारण की ईटीपी रोकी जा सकेगी।

6- एम0डी0ओ0,ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा:

7. **<u>वैधानिक अनुमतियॉ -</u>**

7.1 वैधानिक अनुमतियॉ- वैधानिक अनुमतियॉ निम्नानुसार हैं:-

7.1.1 खनन योजना- निगम द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियमों के तहत तैयार की जाएगी।

7.1.2 पर्यावरण स्वीकृति - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.3 जल एवं वायु सम्मति - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.4 अनुमत मात्रा - खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति, इनमें से जो भी कम हो तक ही खनन अनुज्ञेय होगा, जो कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा के अधीन होगा।

7.2 वैधानिक अनुमतियों के बिना अथवा वैधानिक अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा मे खनन किए जाने पर एम0डी0ओ0 के विरूद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं अन्य लागू नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

7.3 रेत खदानों के समूह के एम0डी0ओ0 द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन किया जायेगा।

7.4 चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां यथा खनन योजना का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति आदि निगम के प्रबंध संचालक द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा, निगम के पक्ष में प्राप्त जा चुकी/जा रही है। इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

7.5 समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तो के उल्लघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

7.6 समूह में सम्मिलित सभी चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों जिनकी वैधानिक स्वीकृतियॉ प्राप्त हो चुकी है, की वैधानिक स्वीकृतियों की अनुमत मात्रा का योग ही, समूह की कुल खनन योग्य उपलब्ध मात्रा होगी तथा निविदा प्रकाशन की तारीख तकजिन खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो, निगम द्वारा उन खदानों को भी, आवेदन में उल्लेखित मात्रा के आधार पर निविदा में सम्मिलित किया गया है। ऐसी खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में समूह के सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा। ऐसी खदानों की स्वीकृतियांसक्षम प्राधिकारी से प्राप्त न होने की स्थिति में/विलम्ब होने में, समूह की मात्रा अथवा ठेका राशि कम करने संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं ऐसी जमा ठेका राशि, जिसके विरूद्ध वैधानिक अनुमतियों के अभाव में रेत उठाव नहीं हो पाया है, की मात्रा का निवर्तन एम0डी0ओ0 द्वारा शेष ठेका अवधि में किया जा सकेगा। जिसके विरूद्ध पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

समूह में शामिल रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों की निविदा जारी दिनांककी अद्यतन स्थिति निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट-9पर है।

7.7 (क) ठेका के संचालन की अवधि के दौरान कोई नवीन खदान के लिए प्रस्ताव कलेक्टर को प्राप्त होता है, तो कलेक्टर, आवश्यक जांच के पश्चात निकटतम उपयुक्त समूह में खदान शामिल कर सकेगा। इस नवीन खदान की अवधि ठेका की समाप्ति की अवधि तक मान्य होगी।

समूह की कुल मात्रा की अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा की क्षमता तक नवीन खदानें जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियाँ निगम द्वारा प्राप्त की जायेगी, जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जायेगा।"

(ख) समूह के एम0डी0ओ0 को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह ऐसी नवीन घोषित खदानों को पूर्व से निविदा में सम्मिलित खदानों, जो कि वैधानिक कारणों से संचालन योग्य नहीं है अथवा समूह में निविदत्त मात्रा से कम मात्रा की वैधानिक अनुमतियॉ प्राप्त है, को उक्त मात्रा की सीमा तक प्रतिस्थापित कर सकेगा।

उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापन न किये जाने पर खदान से रेत निकासी हेतु समूह हेतु (समूह की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदत्त मात्रा) के आधार पर राशि जमा कराई जाएगी। समूह ठेके के लिए कुल मात्रा की अनुमति अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा ही नवीन खदान के मामले में जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां निगम द्वारा प्राप्त की जावेगी जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा।

(ग) यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा निविदत्त मात्रा से कम है, तो एम0डी0ओ0 के अनुरोध पर निविदत्त मात्रा की 20 प्रतिशत मात्रा को आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि (समूह की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदत्त मात्रा)जमा की जानी होगी। समस्त वैधानिक अनुमतियों का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। इस हेतु एम0डी0ओ0 द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्व के वर्ष के अंतिम दिवस तक निविदत्त मात्रा का से कम मात्रा का उत्खनन किये जाने की सूचना एवं उक्त मात्रा को आगामी वर्ष में उठाने की अनुमति बावत अभ्यावेदन निगमको प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) यदि एम0डी0ओ0 किसी वर्ष में, उस वर्ष की निविदत्त मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे उसके आवेदन अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की निविदत्त मात्रा के विरूद्ध समायोजित की जाएगी।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. **<u>अनुबंध का निष्पादन -</u>**

8.1 सफल प्रतिभागी, आशय पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर परिशिष्ट-3 पर संलग्न प्रारूप में निगम को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि, अनुमत सीमा तक ही खनन किया जाएगा और वह नियम 14 के उप-नियम (2) के अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप करेगा और वह समूह में सम्मिलित किसी विशिष्ट खदान का अनुबंध निष्पादन हेतु तैयार है ।

8.2 सफल प्रतिभागी द्वारा उक्त वचन बंध के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

(i) आयकर स्थाई खाता क्रमांक (पेन) की प्रति

(ii) जी.एस.टी. नंबर प्रमाण पत्र की प्रति

(iii) निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑन-लाईन करार/वचन पत्र/ सहमति पत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड), निविदाकार का विवरण, प्राधिकार पत्र, स्थल भ्रमण प्रमाणपत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड) की मूल प्रति

(iv) निविदाकार के संबंधी दस्तावेज की प्रति,

i.	व्यक्तिगत के लिये	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं साझेदारी डीड
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति एवं मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र

(v) निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति ।

8.3 वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत रेत समूह ठेका का त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत कराया जावेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध कलेक्टर एवं निगम के अधिकृत प्रतिनिधि तथा सफल निविदाकार द्वारा निष्पादित किया जावेगा। संपूर्ण खदानों की सूची अनुबंध का भाग होगी। अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन एम.डी.ओ. के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा। खदानवार वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने पर, पृथक-पृथक खदानवार ठेका अनुबंध किया जावेगा।

8.4 यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा। परंतु यह कि आशय पत्र धारक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के उपस्थित होने के 5 दिवस के भीतर अनुबंध का निष्पादन सभी पक्षों के लिये अनिवार्य होगा।"

8.5 इस तरह अनुबंधित आशय पत्र धारक माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) होगा, जो कि आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

9. खनन संक्रियाओं का प्रारंभ किया जाना -

9.1 सफल प्रतिभागी, अनुबंध का निष्पादन तथा पंजीयन के पश्चात किन्तु खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व निगम एवं कलेक्टर को इस आशय की सूचना देगा। निविदा प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात खदान क्षेत्र में उपलब्ध खनिज मात्रा, पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित कारणों के संबंध में आपत्तियों स्वीकार योग्य नहीं होगी।

9.2 अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निर्धारित तिथि को समूह की ठेका राशि जमा करने की शर्त पर, जब भी खदान की वैधानिक अनुमति प्राप्त होती है, उनमें खनन संक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। समूह की सभी खदानों की आवश्यक वैधानिक अनुमतियॉ एक साथ प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।"

10. **ठेकों का निरस्त किया जाना -**

10.1 निगम द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के एम0डी0ओ0 द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लघन, देय राशि विहित समयावधि में जमा न करने के कारण, पर्यावरण नियमों का सम्यक रूप से पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जाना पाये जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रुटि किए जाने की स्थिति में नियम तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करेगा। निगम के प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा एम0डी0ओ0 से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण करने के पश्चात, सनुवाई का उचित अवसर देते हुए या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या सम्यक रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।

ऐसे एम0डी0ओ0 जिनका रेत खदानों के समूह का ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हे विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा। ये एम0डी0ओ0 ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिषिद्ध होंगे ।

10.2 ठेका निरस्त करने के ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

10.3 प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।"

11. समूह का समर्पण -

समूह का समर्पण - एम0डी0ओ0, निगम को किसी भी समय तीन माह अग्रिम में सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकेगा। निगम/राज्य शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतान करने के पश्चात उक्त ठेका समर्पण, राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर, स्वीकार किया जा सकेगा।

परन्तु एक बार समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात यह अविखण्डनीय होगा तथा राज्य शासन निर्धारित समयावधि में ऐसा समर्पण स्वीकार करेगा तथा एम0डी0ओ0, अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तो के अधीन समूह का कब्जा सौंप देगा:

परन्तु यह भी कि, समूह के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा समूह की पुनः निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।

12. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य एम0डी0ओ0 द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो निगम द्वारा ठेका रद्द किए जाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में निगम/राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13. **(क) <u>ई.एम.डी./सुरक्षा राशि की जप्ती -</u>**

ई.एम.डी./सुरक्षा राशि निम्न कारणों से जप्त करने का अधिकार निगम को होगा:-

(i) यदि प्रतिभागी वैधता अवधि (जो कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से छः माह होगी) में अपना ऑफर वापिस ले लेता है।

(ii) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 के पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

यदि एम0डी0ओ0 द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो उसका ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि सफल प्रतिभागी के पक्ष में सूचना/आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या उसके द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा उसका सूचना/आशय पत्र/ अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकारप्रतिभागी को अयोग्य घोषित किये जाने अथवा एम0डी0ओ0 के अनुबंध निरस्त किये जाने के फलस्वरूपरूप उसकी ई0एम0डी0 राशि/ सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त की जावेगी तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 को हुई किसी भी हानि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(iii) मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र एवं अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत ठेका निरस्त किये जाने पर ।

(iv) यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर जिला समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा।

(v) प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उस पर मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध एवं म0प्र0 राज्य खनिज ***निगम का, निर्विवाद रूप से स्थापित*** कोई शोध्य बकाया न हो एवं यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो उसकी जमा ई0एम0डी0/सुरक्षा राशि रकम से समायोजन योग्य होंगे।

14. **भविष्य निधि तथा लेबर संबंधी नियमों का पालनः-**

प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार एम0डी0ओ0 को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मजदूरों से संबंधितबीमा, पी.एफ. इत्यादि नियमों का पालन करना होगा। एम0डी0ओ0 को पाक्षिक लेबर रिपोर्ट निगम/कलेक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एम0डी0ओ0 द्वारा उक्त नियमों के पालन न करने की स्थिति में प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड के भुगतान का संपूर्ण दायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम पर अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड आदि की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि एम0डी0ओ0 को आवंटित क्षेत्र में रेत उठाव एवं बिक्री के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के फलस्वरूप धन-जन की हानि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम/कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. एम0डी0ओ0, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

16. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए एम0डी0ओ0 को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर/निगम को ठेके की पूरी अवधि केदौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या एम0डी0ओ0 के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

17. समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तो के उल्लघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

18. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में निगम/कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान मे एम0डी0ओ0 द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा ।

19. एम0डी0ओ0 स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

20. एम0डी0ओ0, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

21. एम0डी0ओ0, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगी।

22. एम0डी0ओ0, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

23. एम0डी0ओ0 खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

24. एम0डी0ओ0, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

25. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथातथा एम0डी0ओ0 को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

26. एम0डी0ओ0, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

27. एम0डी0ओ0, खनन से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हे प्रस्तुत करेगा।

एम0डी0ओ0, नीचे दिए गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय एवं कलक्टर को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गए खनिज का प्रारंभिक स्टॉक	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा	माह में स्टॉकमें अंतरित किए गए खनिज की मात्रा	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

28. एम0डी0ओ0, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय को देगा।

29. एम0डी0ओ0, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता, वैधानिक अनुमतियां प्राप्त न होने अथवा समुचित निविदत्त मात्रा हेतु वैधानिक अनुमति उपलब्ध न होने तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में निगम/कलेक्टर के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

30. **ई-ट्रांजिट पास की अनिवार्यता:-**

निगम द्वारा प्रदेश में रेत खनिज के ठेकों के संचालन हेतु मैप आईटी के माध्यम से रेत पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। खदान से रेत का परिवहन बिना ई-ट्रांजिट पास के नहीं किया जावेगा। एम0डी0ओ0 को वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार ही ई-ट्रांजिट पास जारी किये जावेगे। प्रत्येक वाहन जो कि खनिज विभाग से खनिज परिवहन हेतु पंजीकृत हैं, के साथ तथा प्रत्येक ट्रिप हेतु नियमानुसार वैध ई-ट्रांजिट पास जारी करना अनिवार्य है। ई-ट्रांजिट पास एम0डी0ओ0 के अधिकृत कर्मचारी द्वारा जारी किया जावेगा। एम0डी0ओ0 का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वाहन/ट्रिप के लिये ई-ट्रांजिट पास जारी करावें। इस संबंध में अनियमितता बरतने पर एम0डी0ओ0 को ठेका समाप्त करने संबंधी कारण बताओं नोटिस दिया जावेगा तथा बोलीकर्ता की सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।

31. **परिवहन की व्यवस्था:-**

एम0डी0ओ0 को खदान पहुंच मार्ग, कच्चा पुल आदि का निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। यदि पहुंच मार्ग में कोई निजी/शासकीय भूमि आती है तो उसका प्रबंध बोलीकर्ता को स्वयं के व्यय पर ही करना होगा। एम0डी0ओ0 को उसे आवंटित क्षेत्र में रात्रि में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी ।

32. जीपीएस/Vehicle location tracking device/विहित अनुसार समकक्ष तकनीकी यंत्र स्थापित वाहनों से रेत का परिवहन किया जाना एवं खदान पर निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन्स के सी.सी.टी.वी. केमरा स्थापित किया जाना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात अनिवार्य होगा।

33. **ठेके के दौरान राज्य शासन/निगम के निर्देश आदि -**

राज्य शासन/प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम ठेका कार्य प्रारंभ होने के पूर्वएवं ठेके की अवधि के दौरान किन्ही अन्य व्यवहारिक शर्तो का समावेश करने तथा कार्यपालिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगें, जो एम0डी0ओ0 के लिये बंधनकारी होगा। ठेके की शर्तो की व्याख्या का अधिकार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम का होगाएवं उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

34. निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खनिज का निवर्तन अनुबंधित एम0डी0ओ0 द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय - 8 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

35. रेत खनिज के भण्डारण हेतु मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय -9 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

36. समूह का ठेका निरस्त अथवा समर्पित होने की स्थिति में एवं समूह में विधिमान्य एम0डी0ओ0 नियुक्त न होने की स्थिति में, रिक्त समूह की अंतिम स्वीकृत दर अथवा रिक्त समूह के जिले में स्वीकृत अन्य ठेको की उच्चतम दर पर उक्त उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 को अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध तक, जो भी कम हो, की अवधि हेतु सहमति के आधार पर संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दी जाने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 का समूह संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। यही प्रक्रिया तृतीय एवं आगामी क्रम के एम0डी0ओ0 के लिये भी अपनाई जायेगी।

उदाहरणार्थ:- जिले में गठित समूह- क, ख, ग, घ

रिक्त समूह - ख

उच्चतम स्वीकृत निविदा दर वाले जिले (घटते क्रम में) - ग, ख, क, घ

रिक्त समूह आवंटन की दर - समूह 'ग' की दर के समतुल्य

समूह संचालन हेतु प्रथम आमंत्रण - समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय

आमंत्रण - समूह 'क' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'क' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय

आमंत्रण - समूह'घ' के एम0डी0ओ0 को

परन्तु रिक्त समूह के जिले में अन्य ठेका स्वीकृत न होने पर, रिक्त समूह के जिले अथवा समूह के जिले की भौगोलिक सीमा से लगे हुए यथा विहित जिले के समूहों की उच्चतम दर पर, उक्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले अनुबंधित एम0डी0ओ0 को, अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध, जो भी कम हो, की अवधि हेतु संचालन हेतु सहमति के आधार पर आवंटित किया जा सकेगा। उक्त एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने पर उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया से जिले की सीमा से लगे हुये अन्य जिले के एम0डी0ओ0 को आवंटन किया जावेगा।

37. यदि किसी खदान से उत्खनन की गई सामग्री का विक्रय केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा रोका जाता है तो इस कारण उपगत किसी हानि के लिये राज्य सरकार, निगम जिम्मेदार नहीं होंगे ।

38. राज्य सरकार द्वारा खदान समूह या किसी समूह में शामिल खदान विशेष से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश का एम0डी0ओ0 पालन करेगा।

39. अनुबंध पर स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय होगा।

40. **प्रयोजन -**

एम0डी0ओ0, उस प्रयोजन से, जिसके लिये उसको ठेका दिया गया है, से भिन्न प्रयोजन के लिये दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

41. **छूट-** नियम-4 अनुसार रियायत की पात्रता रहेगी।

42. **आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य -**

निविदा के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथा स्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरित आदेश एवं कंडिका 33 के अनुसार जारी आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में एम0डी0ओ0 द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जावेगी ।

43. **कब्जे का पुनर्ग्रहण:-**

(क) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खनन मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है, तो एम0डी0ओ0, रेत खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चिय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(ख) जहां एम0डी0ओ0 रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति एम0डी0ओ0 को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां एम0डी0ओ0 निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगा या करवाएगा।

(ग) उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि एम0डी0ओ0, रेत खदानखदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(घ) जहां एम0डी0ओ0, उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, एम0डी0ओ0 से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(ड) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर, एम0डी0ओ0, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो एम0डी0ओ0, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

44. यदि एम0डी0ओ0, अनुबंध की शर्तों का उल्लघन करता है, तो निगम को एम0डी0ओ0 द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को समपहत करने का अधिकार होगा। ठेका निरस्त करने की दशा में एमडीओ द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि राजसात करते ही जा सकेगी एवं एमडीओ से वसूली योग्य राशि जमा करने हेतु उसे सूचित किया जावेगा। एमडीओ द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में राशि जमा न करने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली उसके विरूद्ध न्यायालयीन वाद दायर कर अथवा कर भू-राजस्व बकाया की वसूली के रूप में की जा सकेगी।

45. एम0डी0ओ0, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

46. ई-निविदा सह नीलामी सूचना, ई निविदा सह नीलामी प्रपत्र, अनुबंध रेत नियम मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

47. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टक्रमित किया जाता है, कि यदि, एम0डी0ओ0 उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम (रूपए ....) जो कि एम0डी0ओ0 द्वारा जमा की गई है निगम द्वारा उसे वापिस कर दी जाएगी। एम0डी0ओ0 के कन्सॉरशियम होने की स्थिति में सुरक्षा राशि एस0पी0वी0 को उपरोक्तानुसार वापिस की जायेगी। सुरक्षा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

48. अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-

यदि किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure) जो बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे हो तथा इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि बोलीकर्ता द्वारा ऐसी घटना या परिस्थिति के होते हुए भी उन्हें रोकने, हटाने या टालने के पर्याप्त प्रयास किये गये हों ताकि कार्य निरंतर चलता रहे, के कारण कार्य बाधित हो तो समयावधि तक बोलीकर्ता के सभी दायित्व स्थगित रखे जायेंगे। बोलीकर्ता ऐसी घटना या परिस्थिति की विस्तृत जानकारी उसके उत्पन्न होने के पूर्व या 7 दिवस के भीतर, जैसा भी संभव हो पर्याप्त साक्ष्य सहित निगम को देगा तथा कारण (अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति) के समाप्त होने पर निगम को सूचित करते हुये कार्य पुन: प्रारंभ करेगा। निगम द्वारा वांछित तथा तदानुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साक्ष्य तथा दस्तावेज के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

यहॉ पर अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति से अभिप्रेत है:- देवीय प्रकोप जैसे बाढ़, महामारी, भूकम्प तथा अकाल इत्यादि तथा अनपेक्षित घटना यथा आम हड़ताल, कर्फ़्यू, उपद्रव, आगजनी, दंगा तथा शासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक धारायें, नियम आदेश या उदघोषण में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन आदि।

49. **विवादों का निपटरा:-**

निगम एवं बोलीकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध से संबंधित किसी विवाद के निराकरण हेतु विवाद उत्पन्न होने के सात दिवसों के भीतर बोलीकर्ता द्वारा निगम के प्रबंध संचालक को औपचारिक रूप से लिखित में विवाद का सारभूत अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित करने के तीस दिवस के भीतर निगम के प्रबंध संचालक संबंधित पक्षों की सुनवाई कर इसका निराकरण कर सकेंगे। यदि निगम के प्रबंध संचालक 30 दिवस में उन्हें संदर्भित किये गये विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में या बोलीकर्ता प्रबंध संचालक द्वारा निर्णीत समाधान से संतुष्ट न हो तो आर्बीट्रिशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के तहत मध्य प्रदेश मध्यस्थता केन्द्र (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) नियम, 2019 अनुसार विवाद का निपटारा किया जावेगा।

50. **विवाद का अधिकार क्षेत्र :-**

समस्त वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे ।

अनूसूची-क

(पैरा 1 देखिए)

जिला	**तहसील**	**समूह का नाम/क्रमांक**	**ग्राम (जहां खदान स्थित है)**	**खसरा क्रमांक**	**रकबा (हेक्टेयर में)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1...

2...

कलक्टर के हस्ताक्षर

जिला ....

(मुहर)

प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम, द्वारा नामित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

जिला ....

(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1...

2...

एम0डी0ओ0 का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई-स्टाम्प का विवरण

ई-स्टाम्प कोड	01015624042025011464
ई-स्टाम्प राशि	₹ 1000
सरकारी सुरक्षा की राशि	₹ 1,00,00,000

शासकीय स्टाम्प शुल्क ₹	1,000
नगरीय निकाय शुल्क ₹	0
जनपद शुल्क ₹	0
उपकर ₹	0
छूट दी गयी स्टाम्प शुल्क ₹	0

ई-स्टाम्प का प्रकार	गैर-न्यायिक
ई-स्टाम्प जारी करने की तिथि एवं समय	24-04-2025 08:56:52 PM
ई- स्टाम्प जारीकर्ता	श्री नागेश कालबेले
जारीकर्ता का प्रकार	सेवा प्रदाता आईडी: SP010116604202100682
स्थान	Stamp Wala, Sahakari Complex, Shop No. 8, Ground Floor,Kali Putli Chowk Balaghat, Pin Code - 481001

विलेख विवरण

विलेख का प्रकार	करार या करार का ज्ञापन
लिखत	अनुबंध पत्र यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है (अनुबंध, (एक) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है; अधिकतम पांच हजार रूपए के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति के यथास्थिति, क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक 10,000 रूपए या उसके भाग के लिए एक रूपया;)

जारीकर्ता हस्ताक्षर

e-Signed By: Nagesh Kalbele
Date & Time: 24/04/2025 09:08:11 PM
Reason:E-Stamp Issuer Signing
Location: India

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
मध्य प्रदेश

पक्षकार / पक्षकारों का विवरण

मैं/हम, विलेख की लिखत का/के निष्पादक / दावेदार शपथपूर्वक घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि निम्नलिखित लिखत पूर्णतः सही एवं सत्य है, एवं जिसकी पुष्टि सभी संबंधित निष्पादकों अथवा दावेदारों, द्वारा की गई है|

सरल क्रमांक	नाम	पक्षकार का प्रकार	पता एवं संपर्क विवरण
1	THE M P STATE MINING CORPORATION LIMITED द्वारा पूरन लाल लक्षकार (Cin/Gstin -23AABCM0300K1Z5)	मालिक	पर्यावास भवन ब्लॉक१ ीन्द फ्लोर (ा) जेल रोड अरेरा हिल्स भोपाल भोपाल ंप ४६२०११ इन. ईमेल: es*********@gmail.com संपर्क नंबर : XXXXXX0184
2	WAINGANGA MINING WORKS PRIVATE LIMITED द्वारा रुकेश बनखेड़े (Cin/Gstin -23AAECW0522A1Z5)	दावेदार	ः नो ४९१/९ा , सेकंड फ्लोर , साकेत नगर , ह.इ. हॉस्पिटल , भोपाल , मध्य प्रदेश , इंडिया , ४६२०२४ ईमेल: es*********@gmail.com संपर्क नंबर : XXXXXX5789

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग का...

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

सफल प्रतिभागी के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप

रेत खदानो के समूह (जिला बालाघाट) से रेत खनन एवं विक्रय हेतु अनुबंध

यह अनुबंध, एक पक्ष के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित की ओर से नामित प्रतिनिधि **श्री पूरन लाल लक्षकार, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)** (जिसे इसमें इसके पश्चात "निगम" कहा गया है) एवं जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और द्वितीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह की अवस्थिति के जिला **बालाघाट** के कलेक्टर की ओर से नामित प्रतिनिधि .... (जिसे इसमें इसके पश्चात कलेक्टर कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और तृतीय पक्ष के रूप में रेत खदानों के समूह **बालाघाट** हेतु नियुक्त माईन डवलपर कम ऑपरेटर(एम0डी0ओ0)मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. एण्ड रमेश प्रसाद दुबे (कंर्सोसियम) द्वारा गठित (एसपीवी) **मेसर्स वैनगंगा माईनिंग वर्क्स प्रा.लि., 491/9ए, द्वितीय तल, सेक्टर 9ए, साकेत नगर, हबीबगंज, भोपाल (म0प्र0) 462024** के अधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो तो) **श्री रुकेश बनखेडे** जिसे इसमें इसके पश्चात "माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0ओ0)" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक ......30...... माह ......अप्रैल...... सन **2025** को अवधि ...30/04/2025... से ...29/04/2028... हेतु जिला समूह **बालाघाट** में सम्मिलित रेत खदानो से रेत के खनन एवं विक्रय हेतु के लिए किया गया है।

यत: निगम ने माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0)को उपरदर्शित रेत खदानों के समूह का ठेका स्वीकृत किया है। समूह में सम्मिलित रेत खदानों का सांकेतिक विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है ।

1- <u>**परिभाषा -**</u>

(1) इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67)

(ख) **"निगम"**से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित अथवा दि म0प्र0 स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.;

(ग) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप;

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

(घ) **"सरकार"**से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) **"ग्राम पंचायत"**, **"जनपद पंचायत"**, **"जिला पंचायत"**और **"ग्राम सभा"**के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है;

(च) **"रेत खनिज"**से अभिप्रेत है, साधारण रेत, बजरी जैसा कि खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ.) में परिभाषित किया गया है;

(छ) **"नगरपालिका"**के वही अर्थ होंगे, जो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है;

(ज) **"भण्डारण अनुज्ञप्ति"**से अभिप्रेत है, रेत खनिज के भण्डारण एवं व्यापार हेतु इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति;

(झ) **"भण्डारण स्थल"** से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान, जहां व्यवसायिक प्रयोजन हेतु रेत खनिज का भण्डारण किया जाता है;

(ञ) **"नगरीय निकाय"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषद;

(ट) **माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर (एम.डी.ओ.)**:- निगम द्वारा नियम 8 में विहित प्रक्रिया अनुसार चयनित माईनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर, जो कि उसे आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

(ठ) **"लेखा वर्ष"** से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है।

(ड) **"अनुबंध"** से तात्पर्य इस अनुबंध तथा इसकी ई-निविदा सह नीलामी की आमंत्रण सूचना, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, उसमें संलग्न परिशिष्ट तथा दस्तावेज से है।

(ढ) **"नियम"** से तात्पर्य म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 से है।

(ध) **"अनुबंध की अवधि"** नियम 9 में यथा विहित । अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

WAINGANGA MINING WORKS PVT LTD

पूरन लाल लशकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

(न) **"लागू अधिनियम"** से तात्पर्य वे कानून हैं जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्‍वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हों। इन कानूनों में इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय, डिक्री, ब्योदेश, रिट, आदेश, जो कि इस अनुबंध से संबंधित हैं, भी सम्मिलित हैं।

(प) **"वैधानिक स्वीकृतियाँ"** से तात्पर्य उन सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों, अनुज्ञा-पत्रों, प्राधिकार, सहमति तथा अनुमोदनों से है, जिनकी आवश्यकता प्रचलित कानूनों के अंतर्गत रेत खदानों के संचालन तथा इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए हो।

(फ) **"व्यवसायिक सदप्रथाऍं"** से तात्पर्य उन प्रथाओं, पद्धतियों, तकनीकों, मानकों दक्षता, अध्यवसाय, बुद्धमत्ता से है जिसकी अपेक्षा सामान्यतया अंतराष्ट्रीय स्तर पर युक्तियुक्त तथा दक्ष एवं अनुभवी ऐसे ही कार्य में लगी एजेंसी, जैसी कि इस अनुबंध में प्रावधानित है।

(ब) **"पक्षो"** से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले तीनों पक्षों से है। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से है।

(भ) **"निगम के प्रतिनिधि"** तात्पर्य निगम के प्रबंध संचालक दि म0प्र0स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि0 भोपाल या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि प्रबंध संचालकअथवा उनके द्‍वारा प्राधिकृत अधिकारी द्‍वारा लिखित में इस अनुबंध के अंतर्गत किया जाता है।

(म) **"प्रबंध संचालक"**से तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक से है।

उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है एवं प्रदेश में विभिन्न खनिजों के उत्खनन एवं वाणिज्य में संलग्न हैं। निगम को मध्यप्रदेश शासन द्‍वारा प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियॉ यथा माईनिंग प्लान का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त करने का दायित्व दिया गया है एवं उक्त खदानों का निवर्तन, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 (रेत नियम, 2019) के प्रावधानों के अंतर्गत किए जाने का कार्य दिया गया है।

WAINGANGA MINING CORP. PVT. LTD.

पूरन लाल लश्कार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा आवंटित किया गया है। निगम द्वारा इन रेत खदानों से उत्खनन एवं विक्रय का कार्य, नियम8 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) से कराया जावेगा।

उक्त दायित्व की पूर्ति हेतु निगम द्वारा ई निविदा सह नीलामी के माध्यम से एम0डी0ओ0 का चयन किया गया है। उक्त निविदा में रेत खदानों के समूह **बालाघाट** हेतु उच्चतम बोली रूपए **57,71,97,557/-** प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागी (एम0डी0ओ0)**मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. एण्ड रमेश प्रसाद दुबे (कंर्सोसियम)** को उच्चतम प्रतिभागी घोषित किया गया। मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. एण्ड रमेश प्रसाद दुबे (कंर्सोसियम) को पत्र क्रमांक **रेत/न.क्र.332(4)/2025/356** दिनांक **15.02.2025** के माध्यम से **सूचना पत्र** जारी किया गया एवं वांछित सुरक्षा राशि तथा वचनबंध प्रस्तुत करने पर, शासन के अनुमोदन उपरांत आज 30/04/2025 को उपरोक्त +अनुसार रेत खदानों के समूह **बालाघाट** की रेत खदानो हेतु अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

2- कार्य का स्वरूप- इस अनुबंध का मूल तत्व, वार्षिक ठेका राशि के भुगतान पर निश्चित समयावधि हेतु समूह में सम्मिलित एवं निगम को खनिपट्टा पर आवंटित रेत खदानों से, रेत का उत्खनन एवं विक्रय का अधिकार दिया जाना है। ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र में दी गई खदानों की सूची, सूची में दर्शित खदानों का क्षेत्रफल एवं मात्रा आदि सांकेतिक मात्र है।

इस अनुबंध के अनुसरण में एम0डी0ओ0 को समूह की खदानों का तारीख 30/04/2025 से तारीख 29/04/2025 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा। एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि ठेके पर दिए गए क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

एमडीओ द्वारा समूह में सम्मिलित खदानों की तत्सयम उपलब्ध वैधानिक अनुमतियों की सीमा तक उत्खनन किया जा सकेगा। यह मात्रा ठेका राशि के विरूद्ध उपलब्ध कराई गई रेत की मात्रा के अधीन होगी। एमडीओ, नियम के प्रावधानों के अधीन उक्त मात्रा का विक्रय एवं परिवहन करने हेतु स्वतंत्र होगा। अनुबंध के वर्ष की समाप्ति पर तत्समय शेष रेत की मात्रा सामान्यतः व्यपगत/ लैप्स हो जावेगी।

इस प्रकार रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार किए जाने पर लागू समस्त नियमों, खनिपट्टा तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में त्रुटि एवं नियमों के उल्लघंन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगा तथा शासन/निगम उक्त नियमों उक्त के उल्लघंन की जवाबदेही से पूर्ण रूप से विमुक्त होगा। इस अनुबंध के माध्यम से एमडीओ द्वारा यह बिना शर्त यह सहमति दी जाती है की वह समस्त प्रकार के उल्लघंनों पर लागू आपराधिक उत्तरदायित्व को स्वयं ग्रहण करेगा। किसी भी

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

न्यायालय प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी द्वारा यदि खनन पट्टा धारक (निगम) के विरूद्ध कोई पैनाल्टी अथवा जुर्माना आदि लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति एम0डी0ओ0 द्वारा की जावेगी। यदि एम0डी0ओ0 के विरूद्ध पैनाल्टी अथवा जुर्माना लगाया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी को वह, उसका भुगतान करेगा।

3- **निविदा में सम्मिलित रेत समूह की अवधि** - समूह की खदानों की ठेका अवधि 03 वर्ष होगी। जिसमें अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध दिनांक से की जाएगी।

अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

4- **सुरक्षा राशि**- उच्चतम प्राप्त नीलामी राशि का 25% सुरक्षा राशि के रूप में देय होगा। यह सुरक्षा राशि अनिवार्यतः, पूर्व में ऑन-लाईन नगद जमा ई.एम.डी. राशि के समायोजन उपरांत, निगम द्वारा संधारित खाते (निविदा सूचना में यथादर्शित) में जमा की जावेगी।

यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी., बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की गई हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी वापस की जावेगी।

प्रथम माह की किश्त अग्रिम में देय होगी।

उक्त सुरक्षा राशि ठेके के निबंधनों और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समपहत किए जाने योग्य होगी;

5- **ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतान-** यह कि एम0डी0ओ0 ई-निविदा सह नीलामी की शर्तों के अनुसार निम्नानुसार राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है -

(क) ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम मूल्य की राशि, जिसके क्रम में प्रतिभागी का **आशय पत्र** दिनांक **10.03.2025** जारी किया गया, वार्षिक ठेका राशि होगी एवं ठेके के प्रथम वर्ष में वार्षिक ठेका राशि ही देय होगी। ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं नियम 9 अनुसार विस्तारित अवधि में वार्षिक ठेका राशि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

उदाहरणार्थ -

समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य	- रूपए 37,50,00,000/- रुपये
उच्चतम मूल्य की राशि (वार्षिक ठेका राशि)	- रूपए 57,71,97,557/- रुपये

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लश्कार (कनिष्ठ प्रबंधक) खा.
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

(ङ) ठेका राशि ... होंगे।

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष में देय राशि (रूपए)	द्वितीय वर्ष में देय राशि (रूपए)	तृतीय वर्ष देय राशि (रूपए)
1.	वृद्धि का प्रतिशत	-	10%	10%
2.	वृद्धि राशि	-	5,77,19,756/-	5,77,19,756/-
3.	कुल देय राशि	57,71,97,557/-	63,49,17,313/-	69,26,37,069/-

(ख) वार्षिक ठेका राशि मासिक किश्तों में माह के प्रथम दिवस को अग्रिम में देय होगी। यदि माह का प्रथम दिवस शासकीय अवकाश हो तो मासिक किश्त इसके अगले दिन जमा करायी जाएगी। प्रथम किश्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देयहोगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जायेगी। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में वार्षिक ठेका राशि के क्रमशः चार, तीन एवं तीन प्रतिशत एवं शेष राशि अन्य 9 माहों में समान किश्तों में देय होगी। ठेका अवधि के प्रथम एवं अंतिम माह में किश्त की गणना समानुपातिक रूप से की जाएगी।

(ग) मासिक किश्त की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर समूह की खदानों की ई.टी.पी. (स्टॉक सहित) चालू की जा सकेगी। किन्तु माह के अंत तक मासिक किश्त की सम्पूर्ण राशि, मय ब्याज के जमा करनी होगी अन्यथा ई0टी0पी0 (स्टॉक सहित) पर रोक लगा दी जावेगी। जमा राशि की समानुपातिक रेत की मात्रा एम0डी0ओ0 को निवर्तन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी।

(घ) यदि किसी माह में निकास की जाने वाली रेत की मात्रा के लिए देय राशि, उस माह हेतु संदत्त किश्त राशि से अधिक है तो, अतिरिक्त राशि, ठेका किश्त के अतिरिक्त पृथक से अग्रिम में संदेय होगी। उक्त राशि अतिरिक्त उठाव की गई रेत की मात्रा एवं समूह की स्वीकृत ठेका राशि एवं निविदत्त मात्रा के आधार पर निकाली गई प्रति घनमीटर राशि का गुणनफल होगा। उक्त राशि न चुकाये जाने की स्थिति में निगम/कलेक्टर खनिज परिवहन हेतु अपेक्षित अभिवहन पारपत्र जारी किया जाना रोक देगा। इस प्रकार जमा अतिरिक्त राशि एवं उठाई गई/उठाई जाने वाली मात्रा, वार्षिक ठेका राशि एवं मात्रा अनुसार समायोजन योग्य होगी।

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

(ड) ठेका राशि के अतिरिक्त समस्त अन्य कर, शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे ।

यह राशि म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 10 के अनुसार जो रकम एतदद्वारा ठेका राशि कहलाएगी।

(च) एम0डी0ओ0 द्वारा ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम निगम के रेत पोर्टल https://mining.mp.gov.in के माध्यम से ऑन-लाईन जमा की जावेगी।

(छ) यदि एम0डी0ओ0 नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण की ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा एम0डी0ओ0 को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए :

उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 18 प्रतिशत वार्षिक अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित दर से ब्याज सहित, देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, निगम खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, उपरोक्तानुसार यदि मासिक किश्त की देयता की तारीख के एक माह के भीतर एम0डी0ओ0 राशि जमा करने में असफल रहता है तो, निगम द्वारा ठेका निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त नहीं होती तब तक एम0डी0ओ0 के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों एवं उसे आवंटित रेत भण्डारण के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी। तथापि शासन, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0एवंनिगम द्वारा अन्य वैधानिक अथवा व्यवसायिक कारणों से भी खदानों तथा एम0डी0ओ0 को आवंटित रेत भण्डारण की ईटीपी रोकी जा सकेगी।

6- तथा एम0डी0ओ0,ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल वायु सम्मति एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा:

7. **<u>वैधानिक अनुमतियाँ -</u>**

7.1 **वैधानिक अनुमतियाँ-** वैधानिक अनुमतियाँ निम्नानुसार हैं:-

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
म.प्र. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

7.1.1 खनन योजना- निगम द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियमों के तहत तैयार की जाएगी।

7.1.2 पर्यावरण स्वीकृति - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.3 जल एवं वायु सम्मति - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन निगम द्वारा प्राप्त की जाएगी।

7.1.4 अनुमत मात्रा - खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, जल एवं वायु सम्मति, इनमें से जो भी कम हो तक ही खनन अनुज्ञेय होगा, जो कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित मात्रा के अधीन होगा।

7.2 वैधानिक अनुमतियों के बिना अथवा वैधानिक अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा मे खनन किए जाने पर एम0डी0ओ0 के विरूद्ध म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं अन्य लागू नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

7.3 रेत खदानों के समूह के एम0डी0ओ0 द्वारा रेत खनन विभिन्न वैधानिक अनुमतियों के अधीन किया जायेगा।

7.4 चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों की विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां यथा खनन योजना का अनुमोदन, पर्यावरण स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति आदि निगम के प्रबंध संचालक द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा, निगम के पक्ष में प्राप्त जा चुकी/जा रही है। इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

7.5 समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तो के उल्लघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

7.6 समूह में सम्मिलित सभी चिन्हित एवं घोषित रेत खदानों जिनकी वैधानिक स्वीकृतियॉ प्राप्त हो चुकी है, की वैधानिक स्वीकृतियों की अनुमत मात्रा का योग ही, समूह की कुल खनन योग्य उपलब्ध मात्रा होगी तथा निविदा प्रकाशन की तारीख तकजिन खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो, निगम द्वारा उन

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल हथकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

खदानों को भी, आवेदन में उल्लेखित मात्रा के आधार पर निविदा में सम्मिलित किया गया है। ऐसी खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में समूह के सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा। ऐसी खदानों की स्वीकृतियांसक्षम प्राधिकारी से प्राप्त न होने की स्थिति में/विलम्ब होने में, समूह की मात्रा अथवा ठेका राशि कम करने संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं ऐसी जमा ठेका राशि, जिसके विरूद्ध वैधानिक अनुमतियों के अभाव में रेत उठाव नहीं हो पाया है, की मात्रा का निवर्तन एम0डी0ओ0 द्वारा शेष ठेका अवधि में किया जा सकेगा। जिसके विरूद्ध पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

समूह में शामिल रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों की निविदा जारी दिनांक की अद्यतन स्थिति निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट-9 पर है।

7.7 **(क)** ठेका के संचालन की अवधि के दौरान कोई नवीन खदान के लिए प्रस्ताव कलेक्टर को प्राप्त होता है, तो कलेक्टर, आवश्यक जांच के पश्चात निकटतम उपयुक्त समूह में खदान शामिल कर सकेगा। इस नवीन खदान की अवधि ठेका की समाप्ति की अवधि तक मान्य होगी।

समूह की कुल मात्रा की अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा की क्षमता तक नवीन खदानें जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियाँ निगम द्वारा प्राप्त की जायेगी, जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जायेगा।"

(ख) समूह के एम0डी0ओ0 को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह ऐसी नवीन घोषित खदानों को पूर्व से निविदा में सम्मिलित खदानों, जो कि वैधानिक कारणों से संचालन योग्य नहीं है अथवा समूह में निविदत्त मात्रा से कम मात्रा की वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त है, को उक्त मात्रा की सीमा तक प्रतिस्थापित कर सकेगा।

उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापन न किये जाने पर खदान से रेत निकासी हेतु समूह हेतु (समूह की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदत्त मात्रा) के आधार पर राशि जमा कराई जाएगी। समूह ठेके के लिए कुल मात्रा की अनुमति अधिकतम 25 प्रतिशत मात्रा ही नवीन खदान के मामले में जोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी नवीन रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां निगम द्वारा प्राप्त की जावेगी जिसमें एम0डी0ओ0 द्वारा सहयोग किया जावेगा।

(ग) यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा निविदत्त मात्रा से कम है, तो एम0डी0ओ0 के अनुरोध पर निविदत्त मात्रा की 20 प्रतिशत मात्रा को आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि (समूह

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षाकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

की तत्समय प्रचलित ठेका राशि/निविदत्त मात्रा)जमा की जानी होगी। समस्त वैधानिक अनुमतियों का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। इस हेतु एम0डी0ओ0 द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्व के वर्ष के अंतिम दिवस तक निविदत्त मात्रा का से कम मात्रा का उत्खनन किये जाने की सूचना एवं उक्त मात्रा को आगामी वर्ष में उठाने की अनुमति बावत अभ्यावेदन निगमको प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) यदि एम0डी0ओ0 किसी वर्ष में, उस वर्ष की निविदत्त मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे उसके आवेदन अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की निविदत्त मात्रा के विरूद्ध समायोजित की जाएगी।

किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. <u>अनुबंध का निष्पादन -</u>

8.1 सफल प्रतिभागी, आशय पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर परिशिष्ट-3 पर संलग्न प्रारूप में निगम को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि, अनुमत सीमा तक ही खनन किया जाएगा और वह नियम 14 के उप-नियम (2) के अनुसार समूह हेतु प्राप्त उच्चतम निविदा राशि का निक्षेप करेगा और वह समूह में सम्मिलित किसी विशिष्ट खदान का अनुबंध निष्पादन हेतु तैयार है ।

8.2 सफल प्रतिभागी द्वारा उक्त वचन बंध के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

(i) आयकर स्थाई खाता क्रमांक (पेन) की प्रति

(ii) जी.एस.टी. नंबर प्रमाण पत्र की प्रति

(iii) निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑन-लाईन करार/वचन पत्र/ सहमति पत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड), निविदाकार का विवरण, प्राधिकार पत्र, स्थल भ्रमण प्रमाणपत्र (1000/- रू. के स्टाम्प पर नोटराईज्ड)की मूल प्रति

(iv) निविदाकार के संबंधी दस्तावेज की प्रति,

I	व्यक्तिगत के	आधार कार्ड/पेन कार्ड

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

	लिये	
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी/अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं साझेदारी डीड
iii.	कंपनी के लिये	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति एवं मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र

(v) निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति ।

8.3 वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत रेत समूह ठेका का त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत कराया जावेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध कलेक्टर एवं निगम के अधिकृत प्रतिनिधि तथा सफल निविदाकार द्वारा निष्पादित किया जावेगा। संपूर्ण खदानों की सूची अनुबंध का भाग होगी। अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन एम.डी.ओ. के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा। खदानवार वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने पर, पृथक-पृथक खदानवार ठेका अनुबंध किया जावेगा।

8.4 यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा। परंतु यह कि आशय पत्र धारक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के उपस्थित होने के 5 दिवस के भीतर अनुबंध का निष्पादन सभी पक्षों के लिये अनिवार्य होगा।"

8.5 इस तरह अनुबंधित आशय पत्र धारक माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) होगा, जो कि आवंटित समूह की रेत खदान से रेत का खनन एवं विक्रय करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

9. खनन संक्रियाओं का प्रारंभ किया जाना -

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लश्कार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

9.1 सफल प्रतिभागी, अनुबंध का निष्पादन तथा पंजीयन के पश्चात किन्तु खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व निगम एवं कलेक्टर को इस आशय की सूचना देगा। निविदा प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात खदान क्षेत्र में उपलब्ध खनिज मात्रा, पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित कारणों के संबंध में आपत्तियों स्वीकार योग्य नहीं होगी।

9.2 अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निर्धारित तिथि को समूह की ठेका राशि जमा करने की शर्त पर, जब भी खदान की वैधानिक अनुमति प्राप्त होती है, उनमें खनन संक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। समूह की सभी खदानों की आवश्यक वैधानिक अनुमतियॉ एक साथ प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।"

10. <u>ठेकों का निरस्त किया जाना -</u>

10.1 निगम द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के एम0डी0ओ0 द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लघन, देय राशि विहित समयावधि में जमा न करने के कारण, पर्यावरण नियमों का सम्यक रूप से पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जाना पाये जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रुटि किए जाने की स्थिति में नियम तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करेगा। निगम के प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा एम0डी0ओ0 से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण करने के पश्चात, सनुवाई का उचित अवसर देते हुए या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या सम्यक रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।

ऐसे एम0डी0ओ0 जिनका रेत खदानों के समूह का ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हे विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा। ये एम0डी0ओ0 ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिषिद्ध होंगे ।

10.2 ठेका निरस्त करने के ऐसा कोई आदेश हितबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

10.3 प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।"

11. **समूह का समर्पण** - एम0डी0ओ0, निगम को किसी भी समय तीन माह अग्रिम में सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकेगा। निगम/राज्य शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतान

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लश्कार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

करने के पश्चात उक्त ठेका समर्पण, राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर, स्वीकार किया जा सकेगा।

परन्तु एक बार समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात यह अविखण्डनीय होगा तथा राज्य शासन निर्धारित समयावधि में ऐसा समर्पण स्वीकार करेगा तथा एम0डी0ओ0, अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तो के अधीन समूह का कब्जा सौंप देगा:

परन्तु यह भी कि, समूह के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा समूह की पुन: निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।

12. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य एम0डी0ओ0 द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो निगम द्वारा ठेका रद्द किए जाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में निगम/राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13. **(क) <u>ई.एम.डी./सुरक्षा राशि की जप्ती -</u>**

ई.एम.डी./सुरक्षा राशि निम्न कारणों से जप्त करने का अधिकार निगम को होगा:-

(i) यदि प्रतिभागी वैधता अवधि (जो कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से छ: माह होगी) में अपना ऑफर वापिस ले लेता है।

(ii) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 के पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

यदि एम0डी0ओ0 द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो उसका ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि सफल प्रतिभागी के पक्ष में सूचना/आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या उसके द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा उसका सूचना/आशय पत्र/ अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकारप्रतिभागी को अयोग्य घोषित किये जाने अथवा एम0डी0ओ0 के अनुबंध निरस्त किये जाने के फलस्वरूपरूप उसकी ई0एम0डी0 राशि/ सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त की जावेगी तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण सफल प्रतिभागी/एम0डी0ओ0 को हुई किसी भी हानि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) खा.
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

(iii) मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019, ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र एवं अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत ठेका निरस्त किये जाने पर ।

(iv) यदि आशय पत्र का धारक, समूह की किसी एक खदान के लिए संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.ओ.) प्राप्त होने के बावजूद 7 दिवस के भीतर जिला समूह के अनुबंध के लिए आवेदन नहीं करता है या अनुबंध के निष्पादन की स्वीकृति के लिए सूचना प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रकार निक्षिप्त सुरक्षा राशि को समपहत करके आशय पत्र निरस्तीकरण किया जाएगा।

(v) प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उस पर मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध एवं म0प्र0 राज्य खनिज ***निगम का, निर्विवाद रूप से स्थापित*** कोई शोध्य बकाया न हो एवं यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो उसकी जमा ई0एम0डी0/सुरक्षा राशि रकम से समायोजन योग्य होंगे।

14. भविष्य निधि तथा लेबर संबंधी नियमों का पालन:-

प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार एम0डी0ओ0 को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मजदूरों से संबंधितबीमा, पी.एफ. इत्यादि नियमों का पालन करना होगा। एम0डी0ओ0 को पाक्षिक लेबर रिपोर्ट निगम/कलेक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एम0डी0ओ0 द्वारा उक्त नियमों के पालन न करने की स्थिति में प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड के भुगतान का संपूर्ण दायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम पर अधिरोपित पैनाल्टी/अर्थदण्ड आदि की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि एम0डी0ओ0 को आवंटित क्षेत्र में रेत उठाव एवं बिक्री के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के फलस्वरूप धन-जन की हानि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व एम0डी0ओ0 का होगा तथा निगम/कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. एम0डी0ओ0, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

16. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए एम0डी0ओ0 को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लश्कार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. न. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर/निगम को ठेके की पूरी अवधि केदौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या एम0डी0ओ0 के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

17. समस्त लागू नियमों, समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, उत्खनिपट्टा आवंटन तथा विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी एम0डी0ओ0 की होगी। खदान संचालन में नियमों/दिशा निर्देशों/शर्तो के उल्लघन हेतु एम0डी0ओ0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा शासन/निगम एवं कलेक्टर पूर्ण रूप से विमुक्त होंगे।

18. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में निगम/कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान मे एम0डी0ओ0 द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा ।

19. एम0डी0ओ0 स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

20. एम0डी0ओ0, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

21. एम0डी0ओ0, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगी।

22. एम0डी0ओ0, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

23. एम0डी0ओ0 खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

24. एम0डी0ओ0, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

25. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथातथा एम0डी0ओ0 को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. म. प्र. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

26. एम0डी0ओ0, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

27. एम0डी0ओ0, खनन से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हे प्रस्तुत करेगा।

एम0डी0ओ0, नीचे दिए गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय एवं कलक्टर को प्रस्तुत करेगा :

माह	**निकाले गए खनिज का प्रारंभिक स्टॉक**	**माह में निकाले गए खनिज की मात्रा**	**माह में स्टॉकमें अंतरित किए गए खनिज की मात्रा**	**माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा**	**माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक**	**माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

28. एम0डी0ओ0, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं निगम के संबंधित संभागीय/उप कार्यालय को देगा।

29. एम0डी0ओ0, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता, वैधानिक अनुमतियां प्राप्त न होने अथवा समुचित निविदत्त मात्रा हेतु वैधानिक अनुमति उपलब्ध न होने तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में निगम/कलेक्टर के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

30. <u>ई-ट्रांजिट पास की अनिवार्यता:-</u>

निगम द्वारा प्रदेश में रेत खनिज के ठेकों के संचालन हेतु मैप आईटी के माध्यम से रेत पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। खदान से रेत का परिवहन बिना ई-ट्रांजिट पास के नहीं किया जावेगा। एम0डी0ओ0 को वैधानिक स्वीकृतियों के अनुसार ही ई-ट्रांजिट पास जारी किये

WAINGANGA MINING WORKS LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.

जावेगे। प्रत्येक वाहन जो कि खनिज विभाग से खनिज परिवहन हेतु पंजीकृत हैं, के साथ तथा प्रत्येक ट्रिप हेतु नियमानुसार वैध ई-ट्रांजिट पास जारी करना अनिवार्य है। ई-ट्रांजिट पास एम0डी0ओ0 के अधिकृत कर्मचारी द्वारा जारी किया जावेगा। एम0डी0ओ0 का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वाहन/ट्रिप के लिये ई-ट्रांजिट पास जारी करावें। इस संबंध में अनियमितता बरतने पर एम0डी0ओ0 को ठेका समाप्त करने संबंधी कारण बताओं नोटिस दिया जावेगा तथा बोलीकर्ता की सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।

31. परिवहन की व्यवस्था:-

एम0डी0ओ0 को खदान पहुंच मार्ग, कच्चा पुल आदि का निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। यदि पहुंच मार्ग में कोई निजी/शासकीय भूमि आती है तो उसका प्रबंध बोलीकर्ता को स्वयं के व्यय पर ही करना होगा। एम0डी0ओ0 को उसे आवंटित क्षेत्र में रात्रि में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी ।

32. जीपीएस/Vehicle location tracking device/विहित अनुसार समकक्ष तकनीकी यंत्र स्थापित वाहनों से रेत का परिवहन किया जाना एवं खदान पर निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन्स के सी.सी.टी.वी. केमरा स्थापित किया जाना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात अनिवार्य होगा।

33. ठेके के दौरान राज्य शासन/निगम के निर्देश आदि -

राज्य शासन/प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम ठेका कार्य प्रारंभ होने के पूर्वएवं ठेके की अवधि के दौरान किन्ही अन्य व्यवहारिक शर्तो का समावेश करने तथा कार्यपालिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगें, जो एम0डी0ओ0 के लिये बंधनकारी होगा। ठेके की शर्तो की व्याख्या का अधिकार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम का होगाएवं उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

34. निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खनिज का निवर्तन अनुबंधित एम0डी0ओ0 द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय - 8 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

35. रेत खनिज के भण्डारण हेतु मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अध्याय -9 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत किया जावेगा।

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

36. समूह का ठेका निरस्त अथवा समर्पित होने की स्थिति में एवं समूह में विधिमान्य एम0डी0ओ0 नियुक्त न होने की स्थिति में, रिक्त समूह की अंतिम स्वीकृत दर अथवा रिक्त समूह के जिले में स्वीकृत अन्य ठेको की उच्चतम दर पर उक्त उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 को अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध तक, जो भी कम हो, की अवधि हेतु सहमति के आधार पर संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दी जाने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम दर वाले एम0डी0ओ0 का समूह संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा। यही प्रक्रिया तृतीय एवं आगामी क्रम के एम0डी0ओ0 के लिये भी अपनाई जायेगी।

उदाहरणार्थ:- जिले में गठित समूह- क, ख, ग, घ

रिक्त समूह - ख

उच्चतम स्वीकृत निविदा दर वाले जिले (घटते क्रम में) - ग, ख, क, घ

रिक्त समूह आवंटन की दर - समूह 'ग' की दर के समतुल्य

समूह संचालन हेतु प्रथम आमंत्रण - समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'ग' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय आमंत्रण - समूह 'क' के एम0डी0ओ0 को

समूह 'क' के एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने की स्थिति में द्वितीय आमंत्रण - समूह'घ' के एम0डी0ओ0 को

परन्तु रिक्त समूह के जिले में अन्य ठेका स्वीकृत न होने पर, रिक्त समूह के जिले अथवा समूह के जिले की भौगोलिक सीमा से लगे हुए यथा विहित जिले के समूहों की उच्चतम दर पर, उक्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले अनुबंधित एम0डी0ओ0 को, अधिकतम तीन माह अथवा समूह के नवीन अनुबंध, जो भी कम हो, की अवधि हेतु संचालन हेतु सहमति के आधार पर आवंटित किया जा सकेगा। उक्त एम0डी0ओ0 द्वारा सहमति न दिये जाने पर उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया से जिले की सीमा से लगे हुये अन्य जिले के एम0डी0ओ0 को आवंटन किया जावेगा।

37. यदि किसी खदान से उत्खनन की गई सामग्री का विक्रय केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा रोका जाता है तो इस कारण उपगत किसी हानि के लिये राज्य सरकार, निगम जिम्मेदार नहीं होंगे ।

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.

खनि अधिकारी
जिला-बालाघाट

38. राज्य सरकार द्वारा खदान समूह या किसी समूह में शामिल खदान विशेष से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश का एम0डी0ओ0 पालन करेगा।

39. अनुबंध पर स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय होगा।

40. **प्रयोजन -**

एम0डी0ओ0, उस प्रयोजन से, जिसके लिये उसको ठेका दिया गया है, से भिन्न प्रयोजन के लिये दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

41. **छूट-** नियम-4 अनुसार रियायत की पात्रता रहेगी।

42. **आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य -**

निविदा के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथा स्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरित आदेश एवं कंडिका 33 के अनुसार जारी आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में एम0डी0ओ0 द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जावेगी ।

43. **कब्जे का पुनर्ग्रहण:-**

(क) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खनन मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है, तो एम0डी0ओ0, रेत खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चिय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(ख) जहां एम0डी0ओ0 रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति एम0डी0ओ0 को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां एम0डी0ओ0 निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगा या करवाएगा।

(ग) उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि एम0डी0ओ0, रेत खदानखदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लश्कार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.

(घ) जहां एम0डी0ओ0, उप-खण्ड (ख) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलक्टर या उप-खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, एम0डी0ओ0 से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(ड) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर, एम0डी0ओ0, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो एम0डी0ओ0, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

44. यदि एम0डी0ओ0, अनुबंध की शर्तों का उल्लघन करता है, तो निगम को एम0डी0ओ0 द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को समपहत करने का अधिकार होगा। ठेका निरस्त करने की दशा में एमडीओ द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि राजसात करते ही जा सकेगी एवं एमडीओ से वसूली योग्य राशि जमा करने हेतु उसे सूचित किया जावेगा। एमडीओ द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में राशि जमा न करने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली उसके विरूद्ध न्यायालयीन वाद दायर कर अथवा कर भू-राजस्व बकाया की वसूली के रूप में की जा सकेगी।

45. एम0डी0ओ0, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

46. ई-निविदा सह नीलामी सूचना, ई निविदा सह नीलामी प्रपत्र, अनुबंध रेत नियम मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

47. अनुबंध के अधीन, एतद्वारा यह पट्टक्रमित किया जाता है, कि यदि, एम0डी0ओ0 उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम (रूपए **14,42,99,389/-**) जो कि एम0डी0ओ0 द्वारा जमा की गई है निगम द्वारा उसे वापिस कर दी जाएगी। एम0डी0ओ0 के कन्सॉरशियम होने की स्थिति में सुरक्षा राशि एस0पी0वी0 को उपरोक्तानुसार वापिस की जायेगी। सुरक्षा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

48. अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-

यदि किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure) जो बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे हो तथा इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि बोलीकर्ता द्वारा ऐसी घटना या परिस्थिति के होते हुए भी उन्हें रोकने, हटाने या टालने के पर्याप्त प्रयास किये गये हों ताकि कार्य निरंतर चलता रहे, के कारण कार्य बाधित हो तो समयावधि तक बोलीकर्ता के सभी दायित्व स्थगित रखे जायेंगे। बोलीकर्ता ऐसी घटना या परिस्थिति की विस्तृत जानकारी उसके उत्पन्न होने के पूर्व या 7 दिवस के भीतर, जैसा भी संभव हो पर्याप्त साक्ष्य सहित निगम को देगा तथा

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लश्कार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

कारण (अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति) के समाप्त होने पर निगम को सूचित करते हुये कार्य पुनः प्रारंभ करेगा। निगम द्वारा वांछित तथा तदानुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साक्ष्य तथा दस्तावेज के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

यहाॅ पर अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति से अभिप्रेत है:- देवीय प्रकोप जैसे बाढ़, महामारी, भूकम्प तथा अकाल इत्यादि तथा अनपेक्षित घटना यथा आम हड़ताल, कर्फ्यू, उपद्रव, आगजनी, दंगा तथा शासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक धारायें, नियम आदेश या उदघोषण में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन आदि।

49. विवादों का निपटरा:-

निगम एवं बोलीकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध से संबंधित किसी विवाद के निराकरण हेतु विवाद उत्पन्न होने के सात दिवसों के भीतर बोलीकर्ता द्वारा निगम के प्रबंध संचालक को औपचारिक रूप से लिखित में विवाद का सारभूत अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित करने के तीस दिवस के भीतर निगम के प्रबंध संचालक संबंधित पक्षों की सुनवाई कर इसका निराकरण कर सकेंगे। यदि निगम के प्रबंध संचालक 30 दिवस में उन्हें संदर्भित किये गये विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में या बोलीकर्ता प्रबंध संचालक द्वारा निर्णीत समाधान से संतुष्ट न हो तो आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के तहत मध्य प्रदेश मध्यस्थता केन्द्र (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) नियम, 2019 अनुसार विवाद का निपटारा किया जावेगा।

50. विवाद का अधिकार क्षेत्र :-

समस्त वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे ।

अनूसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

क्र.	जिला	तहसील	समूह का नाम	ग्राम जहां खदान स्थित है)	खसरा क्रमांक	रकबा (है. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	बालाघाट	कटंगी	बालाघाट	बाहकल	01 भाग , 231 भाग	3.239
2	बालाघाट	कटंगी	बालाघाट	कलगांव	185	2.500

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. म. प्र. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

3	बालाघाट	कटंगी	बालाघाट	जरामोहगांव	457	4.300
4	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	पानगांव	547	3.000
5	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	केशा	164	4.500
6	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	बिनोरा	01&46भाग	6.318
7	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	कडकना	245	7.229
8	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	सेवती	258	8.788
9	बालाघाट	किरनापुर	बालाघाट	मुण्डेसर्रा	529/1	15.430
10	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चिचोली	387	1.458
11	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	टुय्यापार	583	1.012
12	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	घोटी	1/1.	2.900
13	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	लावनी	473	1.822
14	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चुटिया	251	4.500
15	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	गजपुर	208	4.900
16	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	गुनई	12	4.500
17	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	अतरी	455	4.000
18	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	बकोडी	1	4.500
19	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	टेमनी	332/1	4.500
20	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चिचगाव	5	4.806
21	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	भोरगढ	457/1	4.950
22	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	चिचोली	463	4.990
23	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	खैरी	854	4.000
24	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	मोवाड	209/1	4.202
25	बालाघाट	खैरलांजी	बालाघाट	सावरी	795	4.920
26	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	हरदोली	456	4.480
27	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	बम्हनी	418/1/1	3.402
28	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	बोनकट्टा	443/1, 443/2	4.750
29	बालाघाट	तिरोडी	बालाघाट	कोडबी	285	4.960
30	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	ठाकुरटोला	125	1.000
31	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	भालेवाडा	207 भाग	1.944
32	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	मगरदर्रा	01 भाग	1.000

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

33	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	कुकडा	258 भाग	2.000
34	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बरखों	22	3.150
35	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	भमोड़ी	1/1.	1.328
36	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बरखेडा	45	3.220
37	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	रोशना	1	4.500
38	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	धापेवाडा	144	3.000
39	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	भटेरा	14 /1	7.000
40	बालाघाट	बैहर	बालाघाट	लहंगाकन्हार	7/ 1.	2.000
41	बालाघाट	लांजी	बालाघाट	परसोडी	220/1	4.900
42	बालाघाट	लांजी	बालाघाट	कोचेवाही	702	3.000
43	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	साल्हे	1	1.011
44	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	धपेरा	957	2.000
45	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	कौडिया	117	4.292
46	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	ददिया	397	4.900
47	बालाघाट	लालबर्रा	बालाघाट	छिंदलई	24/1	4.500
48	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	खापा	345/1	1.458
49	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	जागपुर	75	8.565
50	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	कौलीवाडा	735	3.500
51	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	बासी	1	3.800
52	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सिवनी	442/1	4.000
53	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सावंगी	625	4.000
54	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	चंदौरी	21	4.500
55	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	दिनी	346	4.900
56	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	गट्टापायली	434	3.800
57	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	मेहंदीवाडा	326	4.800
58	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	पूनी	231/1	4.900
59	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	पूनी	231/1	4.500
60	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	जागपुर	75	2.000
61	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सिंगोड़ी	650	8.396
62	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	बुदबुदा	706	7.750

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.

पूरन लाल लखाकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो...

खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

63	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	सरंण्डी	574	10.000
64	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	रामपायली	1014	8.869
65	बालाघाट	वारासिवनी	बालाघाट	कंटगटोला	255	12.416
						291.755

कलेक्टर के हस्ताक्षर
कलेक्टर
जिला बालाघाट
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. Sureshkumar kaloste -
2. Durgesh Dahenjya -

प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम, द्वारा नामित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
जिला ....
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. Anurag Tiwari ASKPT3338E
2. ....

एम0डी0ओ0 का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD.
Authorised Signatory
Rakesh Bankhede
Mob- 8989877217
Bhopal
Company Add- H.No-491/9A, second floor. Sawai nagar H.E. Hospital Huzur, Bhopal-462024
Temp. Home- H.N. F-01 Indraprasth Colony sec-B Barrai Katara Hills Bhopal

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. आकाश पटेल BDAPL4434Q
2. Anil Solanki Pan BRJPA7341F

Per- At Post Parmandal Tel-Multai Dist - Betul -

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1
PURAN LAKSHKAR
The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011 -462011

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/430049/2023 dated 14 Jul 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B001MP183358**
2.	**File No.**	10238/2023
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	CHICHOLI SAND QUARRY
7.	**Name of Company/Organization**	PURAN LAKSHKAR
8.	**Location of Project**	MADHYA PRADESH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 04/10/2023

(e-signed)
Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/430049/2023 - प्रकरण क्र. 10238/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम चिचौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/430049/2023** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 20.07.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्र. 651 दिनांक 03.06.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विवधिता/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 21°31'46.96" से 21°31'53.54' और देशांतर 79°52'06.13" से 79°51'55.78" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 675वी बैठक दिनांक 08.09.2023 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम चिचौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. **पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।**
2. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
6. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**
7. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**
8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
9. **म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**
10. **परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।**
11. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।**
12. **SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन. जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।**

13. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा** एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

16. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर ख़नन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

19. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

21. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

23. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

26. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

29. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

32. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

33. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :–</u>

34. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.

35. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.

36. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.

37. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

38. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

39. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

40. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.

41. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

42. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

43. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

44. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान केपिटल राशि रू. 18.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 10.00 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

46. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—(भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम चिचोली के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु आर.ओ. वाटर कूलर के लिए 60,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति चिचोली के खाते में जमा की जावेगी ।	60,000

47. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 03 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4560 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)**	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	1500
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	1000
		6 पंक्ति — करंज, जामुन, लसोड़ा गरारी, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	350
2	ग्राम चिचोली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, ऑंवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल , अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2888
3	परिवहन मार्ग (1000 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	250

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	5988

48. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

49. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेड्यूस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।

50. उत्खनन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।

51. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।

52. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा

53. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा

54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।

55. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन–स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।

56. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला ध्नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।

57. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू–संदर्भित किया जाये ।

58. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये ।

59. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

60. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।

61. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

62. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

63. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।

64. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

65. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।

66. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22–34/2018–आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बनाय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।

67. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये ।

68. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।

69. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।

70. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।

71. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।

72. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

73. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण मे, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

74. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख –रखाव हेतु एम.ओ.ई. एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018–आई.ए, III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
75. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करगा।
76. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
77. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
    - खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
    - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
    - खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
    - माईनेवल पोटेंशियल ऑफ़ रेत खदान।
    - पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
    - खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाईज्ड)।
78. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :
    i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नही होगी।
    ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
    iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
    iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
    v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
    vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
    vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
    viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए
    ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

79. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।

80. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों , जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये ।

81. संबधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियॉ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाऐ।

82. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस–पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाऐं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डेन) पस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।

83. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।

84. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं मे प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियॉ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाऐ।

85. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

(ब) मानक शर्ते

1. परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभवित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं मे किसी प्राकार का बदलाव तो नही हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य सें नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी) ,वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव–जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नही है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गॉव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें ।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।

20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल –
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

National Green Tribunal Bar Association

Room No. 28, NGT Complex, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi - 110001
Tel. : +91-9910811802 E-mail : info@ngtba.org Website : www.ngtba.org

Date : 23/12/2025

Receipt No. : 555

Received with thanks from M/s Wainganga Mining Works PVT LTD (R-no:-10)

an amount of Rupees Ten thousand Only /.

through Cash / Cheque / Bank Draft No. UPI Ref ID:- 535785139950

Dated 23/12/2025 drawn on NEFT

on account of Cost imposed on Original Application No: 1262/2024
Date of Hearing : 15.10.2025
Shankar Lal Lakhade and ors
versus
State of Madhya Pradesh & ors

₹ 10,000/-

Treasurer / Secretary

NGT BAR ASSOCIATION
Faridkot House Copernicus Marg,
New Delhi-110001
NGT Bar Association

Gmail

megha karnwal <advmeghakarnwal@gmail.com>

Advance Service on behalf of R-10 in OA 1262 OF 2024 | ' Shankar Lal Lakhade & Ors. vs. State of Madhya Pradesh & Ors.'
1 message

megha karnwal <advmeghakarnwal@gmail.com> Tue, Dec 23, 2025 at 1:43 PM
To: ed.epco@mp.gov.in, secymining@mp.gov.in, info.mpsmc@mp.gov.in, dmbalaghat@nic.in, mscb.cpcb@nic.in, ms-mppcb@mp.gov.in, rowz.bpl-mef@nic.in

Respected Sir/Ma'am,

Please find attached a copy of reply on behalf of R-10 in the above captioned matter.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Regards,
Ms. Megha Karnwal
Counsel for Respondent No. 10
D-64A, 2nd Floor, Hauz Khas Main Market,
New Delhi-110016
+91 9910465222

REPLY ON BEHALF OF R10_ WAINGANGA MINING WORKS PVT. LTD..pdf
21444K